11.30 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE

AND

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER: We come back to the Banaras Hindu University (Amendment) Bill. Shri Bibhuti Mishra.

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad): Last time Business Advisory Committee decided that the day is reserved for only Motions. But we see a long list of legislative business.

MR. SPEAKER: We will try to make up. Don't worry about it.

SHRI M. N. REDDY: Will the Banaras Hindu University item be the last for the day?

MR. SPEAKER: Some other items are there. It is not the last one.

SHRI M. N. REDDY: The day has been reserved for Motions, as we agreed.

MR. SPEAKER: We will try to finish it a little earlier. Don't worry.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): About 1½ hrs. is the time that remains for discussion on Banaras Hindu University (Amendment) Bill. But for Bihar State Legislature (Delegation of powers) Bill three hours have been allotted. When are you going to start the discussion on the flood and drought Motions?

MR. SPEAKER: 4 hours were allotted to it. 2 hours and 20 minutes have been taken.

SHRI SEZHIYAN: After allowing 1½ hours for Banaras Hindu University (Amendment) Bill which will take us up to lunch time, the Bihar discussion will start at 2 O'clock. If it is allowed to go up to 5 O'clock, when you are going to take up floods and droughts?

MR. SPEAKER: We will cut short.

SHRI S. KANDAPPAN: (Mettur): If that is possible, we will accommodate.

MR. SPEAKER: If we could cut short the time that is better. How long the hon. Minister will take?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): As little time as you direct.

MR. SPEAKER: 20 minutes.

DR. V. K. R. V. RAO: All right.

MR. SPEAKER: We have one-and-a-quarter hour. The hon. Minister will speak. We will try to finish this before lunch and take up the next item. Shri Bibhuti Mishra.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) इन में दो-तीन बिल तो ऐसे हैं जिनको आराम से निकाला जा सकता है ।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : अध्यक्ष जी, मैं कल कह रहा था कि इस गजेन्द्रगडकर रिपोर्ट के ऊपर सरकार की ओर से कौन-सी कार्यवाही की जायगी, इस के सम्बन्ध में सरकार ने अपना कोई निर्णय नहीं लिया है, केवल एक बिल बना कर यहां ले आये हैं, लेकिन इस बिल के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिन का उस रिपोर्ट में उल्लेख है—उन के सम्बन्ध में सरकार ने साफ-साफ कुछ नहीं कहा है ।

अध्यक्ष जी, हमारे डा० राव साहब यहां दिल्ली यूनीवर्सिटी के निर्माता रहे हैं, वे इसके प्राण थे । यहां पर सब चीजें चुनाव से होती हैं, लेकिन इन्होंने हिन्दू यूनीवर्सिटी में सब चुनावों को बन्द कर दिया है, नोमिनेशन के जरिये ही सब कामों की व्यवस्था की है । मैं याद दिलाना चाहता हूं—नैपोलियन-थर्ड जब दूसरी बार चुना गया तो उस ने सारे कंस्टीचूशन को सस्पेंड कर दिया और

-वयं अधिनायक बन बैठा । अगर यही सूरत रही, जैसी कि चल रही है तो हिन्दुस्तान में जिस डेमोक्रेसी के लिए हम जीवन भर लड़ते रहे, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ कर हिन्दुस्तान को आज़ाद कराया, इस देश की डेमोक्रेसी अगर इसी प्रकार चलती रही तो कुछ दिनों में जिसके हाथ में भी चुनाव का काम आयेगा, वह चुनाव बन्द कर के अधिनायक बन जायगा । मैं बनारस के हालात को इसलिए जानता हूं कि मैं स्वयं काशी विद्यापीठ में पढ़ता था, जहां पर 30-40 विद्यार्थियों में से एक एक विद्यार्थी जेल गया, एक एक प्रोफेसर जेल गया । हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसी मिसाल नहीं है कि उस ज़माने में जब हम हिन्दुस्तान की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, किसी संस्था का एक एक विद्यार्थी, एक एक प्रोफेसर जेल गया हो, इसलिए कि हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र रहना चाहिये । प्रजातन्त्र को रखने के लिए जो तरीके बनाये गये, हिन्दू यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में यह बिल उस प्रजातन्त्र के ख़िलाफ़ जा रहा है, जहां चुनावों को बन्द कर के नौमिनेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है ।

तीसरी बात--वहां पर जो वाइस चांसलर थे, उन के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, इस का कुछ पता नहीं लगता है । जिसकी वजह से वहां पर गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से विश्व-विद्यालय में गोलमाल हुआ, उस के सम्बन्ध में सरकार ने आगे कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि हमारे डा० सेन साहब, जब वहां वाइस-चांसलर थे, इन का पवित्र काम था, इन की सारी चीजें पवित्र थीं, लेकिन ऐसे पवित्र आदमी के खिलाफ़ भी वहां पर कुछ शिकायतें छाप दी गई, पर्चा निकाला गया, लेकिन खेद है कि हमारी कैबिनेट के जो लोग हैं, जिन के हाथ में सब कुछ है, वे अपने कुलीग को भी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो और क्या कर सकते हैं ।

विश्वविद्यालय में जब कोई बड़ा मिनिस्टर या बड़े-बड़े आदमी जायं, तो वहां पुलिस नहीं जानी चाहिये, क्योंकि विश्व-विद्यालय का अपना एक कायदा है, अपना ढंग है । अगर पुलिस जाय, तो वहां के वाइस चांसलर से, वहां के अधिकारियों से पूछ लिया जाय, अगर वे जरूरत समझें तो भेजा जाय, जरूरत नहीं समझें तो नहीं भेजा जाय । अगर कोई ज्यादा विरोध हो तो प्लेन-ड्रेस में पुलिस को वहां रखा जा सकता है । लेकिन ऐसा मालूम होता है कि विश्वविद्यालय में जब भी कोई मंत्री या बड़ा आदमी जाता है, तो महसूस करता है कि वहां उसकी सुरक्षा नहीं है । जब छात्रों के बीच में जो हमारे देश की संतान हैं, कोई मिनिस्टर जाता है, कोई गार्डियन जाता है, वह यह समझे कि वह सुरक्षित नहीं है, मैं नहीं समझता कि उस देश की आगे क्या हालत होगी । जो वहां के प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, यह उन का कर्तव्य है कि इस तरह की शिक्षा प्रणाली जारी करें, इस तरह से विद्यार्थियों को शिक्षित करें कि जब कोई दूसरा आदमी उन के बीच में जाय, तो वे उस को अपना मेहमान समझें, उस के साथ मनुष्यता का व्यवहार करें, बड़प्पन का व्यवहार करें । लेकिन आज जो परिस्थिति वहां पैदा हो गई है, उसके सम्बन्ध में सरकार ने कुछ नहीं कहा, बस एक बिल यहां पर ले आये ।

अब, अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि हिन्दू यूनीवर्सिटी में यह गड़बड़ कब से पैदा हुई । गड़बड़ तब से पैदा हुई जब से डा० राधाकृष्णन् वहां पर थे, उन से पहले जो भी लोग वहां वाइस चांसलर बन कर गये, वे सब उसी एरिये के होते थे . .

SHRI S. KANDAPPAN: Is he supporting the Government's Bill or not? What he is saying is very confusing. We are not able to make out what stand he is taking. He has referred to Dr. Radhakrishnan also.

SHRI BIBHUTI MISHRA: Let him please listen to me. I shall be saying what I want. Let him not be impatient.

अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि डा० राधाकृष्णन् के जमाने से विश्वविद्यालय में गड़बड़ शुरू हुई, उनके पहले यह बड़ा पवित्र विश्वविद्यालय था, जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया, जिसके लिये हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े लोगों ने पैसा जमा किया और पैसा जमा कर के विश्वविद्यालय की स्थापना की। वहां पर सारे हिन्दुस्तान के लोग कानून पढ़ने जाते थे। अब तो कानून की पढ़ाई हर जगह हो गई है, यहां तक हो गया है कि अब तो अदालतों में सब अपनी भाषा में बहस करने हैं, इसलिए अब वहां बाहर से कानून पढ़ने के लिए कोई नहीं जाता है। टैकनीकल एजूकेशन के लिए जाते हैं--क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में है और एक दूसरे से मिलती जुलती है। लेकिन जहां जो चीज रहती है, उसकी अपनी खसूसियत जरूर होती है। चूंकि यह विश्वविद्यालय हिन्दी रिजन में है, इसलिये इस की खसूसियत जरूर रहेगी, आज जो सैन्टर की यूनीवर्सिटीज हैं, जैसे विश्व-भारती है, उस का वाइस चांसलर आज तक कोई नान-बंगाली नहीं हुआ। लेकिन इस विश्वविद्यालय की हालत यह है कि यहां का वाइस-चांसलर नान-हिन्दी एरिया के आदमी को बनाया जाता है। हमें इस में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति बनाया जाय, उस का यह कर्तव्य है कि वह वहां के लड़कों से मिले उन की कठिनाइयों को समझे, उस के अन्दर उदारता की भावना होनी चाहिये, जिस तरह से वह अपने बच्चे को समझता है, उसी तरह से वह उन बालकों को समझे। आचार्य नरेन्द्र देव के हटने के बाद, वहां पर यह भावना कम हो गई, शासक और शासित की भावना पैदा हो गई। इस का नतीजा यह हुआ कि हिन्दू यूनीवर्सिटी में सारा काम बिगड़ गया, और आज वह यूनीवर्सिटी बन्द कर के रखी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शिक्षा पर इतना खर्च करने के बाद, 10 हजार विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं, उन का जीवन क्यों बर्बाद किया जा रहा है, यूनीवर्सिटी को बन्द करके क्यों रखा गया है, इसमें विद्यार्थियों का क्या कुसूर है। अगर दो-चार विद्यार्थियों का कुसूर है तो आप उन को बुला कर समझाइये। बाल्मीकि भी हत्यारे से महर्षि हो गये थे, इन विद्यार्थियों को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है. इन की कठिनाइयों को देखने की जरूरत है।

यूनीवर्सिटी के अन्दर विभिन्न पोलिटीकल पार्टीज का अड्डा नहीं होना चाहिये

SHRI S. KANDAPPAN: All robbers cannot become rishis.

श्री विभूति मिश्र : आपको विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है। आप भी महर्षि हो सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं बतलाना चाहता हूं कि यूनीवर्सिटी के अन्दर पोलिटिकल पार्टीज का समावेश नहीं होना चाहिये पोलिटिकल पार्टीज वहां पर जा कर के विद्यार्थियों को उकसाती हैं। विद्यार्थी तो घड़े जैसे होते हैं, छोटी उम्र में आप उनको जो भी बात समझायेंगे उसी पर वे ढुलक जायेंगे। इसलिए मेरा खयाल है कि यूनिवर्सिटी या अन्य शिक्षा संस्थाओं में पोलिटिकल पार्टीज जाकर अपना अड्डा न जमायें बल्कि विद्यार्थियों को पढ़ने दें। इस सम्बन्ध में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट में जो खराबी निकली उसकी तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुदालियर कमेटी ने भेद-भाव की रिपोर्ट दे दी जिसमें वहां के क्षेत्र में यह भावना पैदा हो गई कि यहां पर भेदभाव का बर्त्ताव किया जायेगा। मैं राव साहब से कहूंगा कि वे मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट पर खयाल न करें, आप शिक्षा शास्त्री हैं, आप बहुत जल्दी में इस बिल को लाये हैं इसको आप वापस कीजिए और रिपोर्ट को

देखिए, जिस तरह से ग्राप ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को बनाने में ग्रपना सारा जीवन लगा दिया उसी तरह से बनारस यूनिवर्सिटी को भी बनाने में समय लगाइये। इस विश्वविद्यालय की पूजा श्री मदनमोहन मालवीय जी ने की थी जिनकी पूजा ग्राज भी लोग करते हैं, वे दो तीन बार कांग्रेस के सभापति भी रह चुके हैं, उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। हिन्दू विश्वविद्यालय को पवित्र बनाने के लिए ग्रौर इस संस्था को दुरुस्त करने के लिए ग्राप चाहें तो इस बिल को रोक दीजिए ग्रौर वहां की परिस्थिति को देख कर एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाइये ताकि यूनिवर्सिटी का काम ठीक से चल सके ग्रौर वहां से पोलिटिकल पार्टीज़ का झगड़ा बन्द कराइये। बिल्डिंग वाली जो बात है कि वह ग्रार० एस० एस० की है, जनसंघ की है या यूनिवर्सिटी की है, सभी बातों को देख करके तब ग्रागे काम कीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर विचार करने से पहले मैं इस राय का था कि गजेन्द्रगदकर कमेटी की रिपोर्ट पर बहस होती। ग्रपने ग्राप में यह विधेयक बनारस यूनिवर्सिटी की शिक्षा पद्धति में जितनी बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए ग्रपर्याप्त है। डाक्टर राव को व्यक्तिगत तौर से बहुत कम जानते हुए भी मैं उनकी बहुत इज्जत करता रहा क्योंकि वे बुजुर्ग हैं ग्रौर शिक्षा शास्त्री हैं ग्रौर इसलिए खास तौर से तालीम के मामले में जो बीमारी ग्रादि होंगी उसकी ग्रच्छी दवा करेंगे, लेकिन इस विधेयक को देखकर हमको लगा कि वे ग्रभी ग्रनाड़ी हैं। इन्होंने खुद कबूल किया है... (**व्यवधान**).

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : क्या बात करते हैं? ये खुद ग्रनाड़ी हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : जो विधेयक पेश हुग्रा है इसके बारे में राव साहब ने ही कबूल किया है कि यह विधेयक गैर-टिकाऊ हल है इस समस्या का ग्रौर इसके लिए जो टिकाऊ हल होगा वह बाद में पेश करेंगे। (**व्यवधान**).

श्री शिव नारायण (बस्ती) : ग्राप जवाहरलाल नेहरू की कांस्टीटुएन्सी से चुन कर ग्राये हैं, ग्रापको ग्रच्छी बोली बोलनी चाहिए।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप इस तरह की बातें कहते रहते हैं यह ठीक नहीं है। मैं शिव नारायण जी से भी कहूंगा कि वे जरा कम रुकावटें पैदा किया करें।

श्री जनेश्वर मिश्र : ग्रध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में केवल विश्वविद्यालय के इन्तजाम के बारे में थोड़ी सी तरमीम की गई है। वाइस-चांसलर की नियुक्ति, कार्य समिति की नियुक्ति, ग्रर्थ सचिव की नियुक्ति, उनका कार्यकाल कितना रहेगा—पांच साल रहेगा या तीन साल रहेगा, या कोर्ट के बारे में नियुक्ति—यही कुछ मसले लगते हैं कि वहां की इन्तजाम समिति वाइस-चांसलर की नियुक्ति के बारे में नियम बदल दिये जायें तो वहां का मसला हल हो जायेगा लेकिन यह बिल्कुल बकवास की बात है, इससे मसले का हल होने वाला नहीं है। शिक्षा मन्त्री जी इस चीज़ को ठीक से समझें कि ग्रापने जिस तरह से वहां पर चुनी हुई समितियों की जगह पर नामजद समितियों को रखने की कोशिश की है, जनतन्त्र के इस सबसे बड़े सदन में ग्रापने एक बहुत बड़ा मजाक किया है। ग्रगर ग्राप इन्तजाम समिति में ही, इन्तजाम के मामले में ही कोई तबदीली करेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि खास तौर से जो विद्यार्थियों के प्रतिनिधि लोग हैं उनको भी हिस्सा दीजिए, वहां की प्रबन्ध समिति में, स्थायी समिति में या कार्य समिति में ताकि विद्यार्थी समझ सकें कि इस विश्वविद्यालय के इन्तजाम में हमारा भी हाथ है।

[श्री जनेश्वर मिश्र]

गजेन्द्रगदकर कमेटी की रिपोर्ट दो पक्षों को लेकर चलती है। एक पक्ष है वाइस-चांसलर और उसके साथ साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी और दूसरा पक्ष है विद्यार्थी। मेरे खयाल में एक तीसरा पक्ष छूट गया है। वह पक्ष है बनारस यूनिवर्सिटी खुद, उसकी इमारत, वहां की आवहवा और वहां के आस पास के लोगों के रहन सहन के बारे में भी बात करनी चाहिए थी। ये तीन पक्ष इसमें आते हैं।

सबसे पहले वाइस-चांसलर के बारे में मेरा ख्याल है जोशी साहब से शिक्षा मन्त्री ने और यहां के दूसरे अधिकारियों ने कहा है कि अब आप इस यूनिवर्सिटी को छोड़िये और वह इस्तीफा देने जा रहे हैं। यह जो स्तुत्य कार्य इन्होंने किया है इसके लिए मैं इनको नमस्कार करूंगा लेकिन इसके साथ-साथ इनसे प्रार्थना करूंगा कि जितना काम वाइस-चांसलर ने अनियमितताओं का किया है, चाहे नियुक्तियों, के बारे में, चाहे लड़कों में आपस में भेदभाव पदा करने के बारे में, उस तरह का काम यदि मैं किसी सार्वजनिक संस्था में जाकर करता तो क्या मुझे सजा नहीं दी जाती? मेरा ख्याल है मैं जेल के अन्दर बन्द कर दिया जाता। कोई भी साधारण नागरिक इस तरह की हरकत करता तो बन्द कर दिया जाता, जिस तरह का भेदभाव, कत्ल करने का वातावरण, लाठी चलाने का वातावरण, वाइस-चांसलर और अन्य अधिकारियों ने वहां तैयार किया है। डा० त्रिगुण सेन जब वहां किसी जलसे में बोलने गए थे तो वाइस-चांसलर ने कह दिया कि हम ने आप को आनरेरी डिग्री के लिए चिट्ठी लिखी थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली तब वह मुकर गए। रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है। किसी बड़ी कुर्सी पर बैठ कर कोई झूठ बोले तो क्या उसको सजा मिलेगी इस पर मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी राय बनाएं।

रही बात विद्यार्थियों की, वह एक बहुत बड़ा मसला है। न केवल बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर बल्कि सारे हिन्दुस्तान में जो वाइस-चांसलर्स की नियुक्तियां हो रही हैं उनमें अधिकांशत: अवकाश-प्राप्त लोगों की नियुक्तियां होती हैं। हाईकोर्ट के जो जज रिटायर हो जाते हैं वे वाइस-चांसलर बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिन की रिटायर करने की उम्र साठ साल होती है अवकाशप्राप्त करके वाइस चांसलर बनते हैं। यहां पर भी जो शिक्षा और युवक सेवा मन्त्री हैं उनकी उम्र 50-60 की होगी और वह अपने को युवक सेवा मन्त्री कहते हैं। वे नौजवानों के विचारों को समझ नहीं सकते हैं। इन को युवक सेवा मन्त्री होने का कोई हक नहीं है।... (व्यवधान)... किसी नई उम्र के आदमी को बनाइये, कर्ण सिंह होते या हरिकृष्ण होते तो दूसरी बात है। चूंकि अवकाशप्राप्त किए होते हैं इसलिए वहां पर बदइन्तजामी फैलती है। नई उम्र के आदमी नई चीज पसन्द करते हैं और पुरानी उम्र के पुरानी परिपाटी पर चलते हैं। इसमें द्वंद्व हुआ करता है जिसका नतीजा यह होता है कि अनुशासन के नाम पर लड़कों को अक्सर बदनाम किया जाता है। यूनिवर्सिटी से उनको निष्कासित किया जाता है। बनारस यूनिवर्सिटी से आज कई लड़के निष्कासित हैं। एक साथ यूनिवर्सिटी यूनियन के तीन अध्यक्ष, राम वचन पांडेय, मजूमदार और सिन्हा, इन को अनुशासन के नाम पर निष्कासित किया गया है। यहां पर अनशासन के नाम पर एक ही प्रार्थना करूंगा कि उस के दो पक्ष होते हैं। एक है अनुशासन तोड़ना स्वार्थ के लिए और दूसरा पक्ष है परमार्थ के लिए अनुशासन को तोड़ना। जो लड़का परमार्थ के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए अनुशासन तोड़ता है, मेरे जैसा आदमी उस लड़के का अभिनन्दन करता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो लड़के परमार्थ के लिये अनुशासन तोड़ते रहे, जोशी साहब ने उनको निष्कासित किया और जिन्होंने स्वार्थ के लिए लगातार अनुशासन तोड़ा है, कहीं बाजार में गुंडई करके, कहीं

पर छुरा चला दिया, दामोदर सिंह और दूसरे लड़के, उनको विश्वविद्यालय में रहने का मौका मिला । तो यह गलत बात है । ऐसे ही अनुशासन समाज में लगातार नई उमर के लोगों को तोड़ना चाहिए इसलिये कि पुराने हुनर, पुरानी कला और पुरानी व्यवस्था से जब तक नफरत नहीं होगी नयी हुनर और नयी विद्या आ ही नहीं सकती । इसलिए अनुशासन यदि टूटता है तो शिक्षा मंत्री, वाइस-चांसलर या किसी भी आदमी को बुरा नहीं मानना चाहिये । और जिन लड़कों को आपने निकाला है उनको वापस ले लीजिये ।

इसके साथ साथ जो लोग स्वार्थ के लिए अनुशासन तोड़ते हैं, डा० लोहिया हम लोगों को बताते थे और कहते थे कि हम विद्यार्थियों को सलाह देंगे कि अगर उन्हें रेल की जंजीर खींचनी है तो इसलिए न खींचें कि रेल उन के गांव के सामने से जा रही है, बल्कि इस-लिए खींचें कि रेल में 14 आदमियों के बैठने की जगह है और उसकी जगह पर 40 आदमी बैठ गये हैं और नरक बन गई है । उसको सुधारने के लिए खींचें । जंजीर खींचे, लेकिन सार्वजनिक फायदे के लिए खींचें, निजी फायदे के लिए न खींचें । वहां के विद्यार्थी दामोदर सिंह और दूसरे लोग जो कि अपने फायदे के लिए लड़कों की लूट करते हैं, कत्ल करते हैं, आनन्द कुमार नाम के लड़के को ,जिस दिन गजेन्द्रगडकर कमेटी की रिपोर्ट निकली, गेट पर 8,10 लड़कों ने घेर कर उनको पीट दिया । इससे विश्वविद्यालय का वातावरण ठीक नहीं हो सकता । इसके बारे में बुनियादि ढंग से सोचना होगा ।

हमने माननीय विभूति मिश्र जी को सुना । उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल विश्वविद्यालय से अलग रहें । मैं इनकी राय का अभिनन्दन करने वाला हूं अगर यह अपनी पार्टी के मिनिस्टर और दूसरे लोगों से कह दें कि यूनिवर्सिटी की नियुक्तियों के बारे में, वाइस-चांसलर की नियुक्ति के बारे में ये लोग दखलंदाजी करना बन्द कर दें । वहां के टीचर्स, डीन्स, प्रिन्सिपल्स अपना वाइस-चांसलर बना लें और अपना इंतजाम चलाने लगें । आप लोग हट जाइये ।

यह सही है कि कुछ वहां पर राजनीतिक जमात ऐसी हैं, खासतौर से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा करूंगा, मेरा ख्याल है कि जनसंघ के लोग बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि यह लोग खुद कहते है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक जमात नहीं है और उससे इनका कोई रिश्ता नहीं है । सुना है कि वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो कमरे बने हैं । गजेन्द्रगडकर कमेटी में भी यह लिखा हुआ है, और मैं इस राय का हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन दोनों कमरों को गिराया जाना चाहिये या खाली कराना चाहिये, और न केवल बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, बल्कि जहां-जहां यह संस्था है, इसके बारे में मेरी यह राय है कि यह जमात इन्सान-इन्सान के बीच में मजहब के नाम पर नफरत की आग जलाती है । इसको देश भर में बन्द करना चाहिए । न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बल्कि मर्जालिसे मशवरात पर भी इस तरह की बन्दिश लगे ।

अध्यक्ष महोदय, क्या वजह है कि बनारस यूनिवर्सिटी में दो फीसदी भी लड़के मुसलमान और हरिजन के नहीं पढ़ने जाते और केवल ऊंची जाति के लड़के ही वहां पढ़ने जाते हैं ? वहां कोई न कोई माहौल होगा । गेट पर लिखा हुआ है हिन्दू विश्व-विद्यालय । विश्वविद्यालय के माने क्या होते हैं ? विश्व माने दुनिया, विद्या माने हुनर और आलय माने घर । दुनिया भर के हुनर के घर का नाम हिन्दू के नाम पर रखेंगे, मुसलमान के नाम पर रखेंगे, ब्राह्मण के नाम पर रखेंगे, भूमिहर, क्षत्री,

[श्री जनेश्वर मिश्र]

केसरवानी, अग्रवाल के नाम पर रखेंगे तो वहां कोई तालीम अच्छी नहीं मिल सकती। अगर आपको तबदीली करनी है तो ये नाम हटाइये तब कहीं जाकर कोई रास्ता निकल सकता है।

आखिर में मैं द्रविड़ मुनेत्र कड़घम पार्टी के लोगों से कहूंगा। जो लोग दूर से आते हैं उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है। यह सही है। वहां के गरीब लड़के हैं, जो आस पास के लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। इस यूनिवर्सिटी के लड़के ही थे जिन्होंने सन् 1942 में जब 10, 15 दिन के लिये अंग्रेज भगाये गये थे बलिया में तो उन्होंने जा करके वहां के आन्दोलन की अगुवाई की थी। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आन्दोलन का विश्वविद्यालय रहा है। और हमें आज भी खुशी है कि वहां के लड़के पुराने इन्तजाम को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि जो कोई भी पुरानी व्यवस्था में पिछड़ा होता है कभी-कभी नई व्यवस्था का अगुवा बन जाता है क्योंकि उसको पुरानी व्यवस्था से कोई मोह नहीं रहता। तो लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार का विद्यार्थी हिन्दुस्तान की किसी नई व्यवस्था का अगुवा बनेगा। उसकी अगुवाई के लिए राव साहब मौका दें।

अन्त म मैं कहूंगा कि विश्वविद्यालय अधिकारियों और विद्यार्थियों में आज एक तनाव की हालत है। लोग कहते हैं कि खून की नदी बह जायेगी जिस दिन यूनिवर्सिटी खुलेगी। ऐसे घुटने पर ढोलक बहुत लोग बजाते है, उसकी परवाह मैं कम करता हूं। लेकिन जो तनाव की स्थिति है उसको देखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि तीन, चार दलों की एक मीटिंग होनी चाहिये। विश्वविद्यालय के अधिकारी, वाइस-चांस्लर, यूनिवर्सिटी यूनियन का अध्यक्ष, अभिभावक संघ कोई बनाकर उसका अध्यक्ष लिया जाय और वाइस-चांसलर वायदा कर दें, कि यह कमेटी जो फैसला कर देगी उसको हम मान लेगें। विद्यार्थी भी अन्डरटेकिंग दें और गार्जियन्स भी यह अन्डरटेकिंग दें इस कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा।

इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय में आज क्या हालत है? न केवल बनारस यूनिवर्सिटी में, बल्कि सारे भारत की यूनिवर्सिटीज में लड़का जब पढ़ने जाता है, मैं भी पढ़ने के लिय गया था जब, तो मेरे पिता की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मेरा लड़का कोई बहुत बड़ा हाकिम बनेगा। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद लड़के 4, 6 महीने फालतू घूमते हैं। कहीं काम नहीं मिलता है। किसी छटी जमात पास नेता के पीछे बी०ए० और एम०ए० पास लड़का सड़कों पर घूमता है तब कहीं जाकर क्लर्क बन गया। यह अनिश्चितता का वातावरण समाप्त होना चाहिये। जिस तरह आप लड़कों स लिखवाते हैं कि यूनिवर्सिटी के बने नियमों को मानना पड़ेगा, उसी तरह से आप भी लिखकर दीजिए कि जिस दिन लड़के डिग्री लेकर निकलेगें उन्हें काम दे दिया जायेगा। जब ऐसा किया जायगा तब अपने आप शिक्षा व्यवस्था में जो बदइं तजामी फैली है वह हल हो जायगी।

इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पिछले दिनों जो घटनायें घटी हैं वे अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं और अत्यन्त शर्मनाक भी। आज अगर महामना मालवीय जी जीवित होते तो सबसे अधिक दुःखी व्यक्ति होते, उस विश्वविद्यालय की हालत

को देख करके जिन आदर्शों के आधार पर उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो उनके मस्तिष्क में कल्पना थी और जिस लक्ष्य और उद्देश्य को इस विश्वविद्यालय के माध्यम से वह प्राप्त करना चाहते थे। आज इस बात का दुख है कि विश्वविद्यालय ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि उसके विपरीत बातें वहां हो रही हैं। इस विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति से न केवल पूर्वी क्षेत्र के लोगों में जिनका उससे गहरा सम्बन्ध है, बल्कि सारे देश में चिन्ता है। इसलिये कि इस विश्वविद्यालय का स्वरूप एक पूरा राष्ट्रीय स्वरूप था, देश के कोने-कोने से विद्यार्थी वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिये आते थे और राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों की बहुत बड़ी देन थी इसलिये लोगों को प्रेरणा मिलती थी उस विश्वविद्यालय में जाने के लिये।

श्रीमन् मैं उन लोगों में से था जो हिन्दू विश्वविद्यालय में केवल इसलिये पढ़ने गये थे कि उसकी कहानियां सुना करते थे बचपन में किस प्रकार से वहां के छात्रों और वहां के अध्यापकों ने हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था, किस प्रकार से उन्होंने उत्प्रेरित किया था हजारों और लाखों लोगों को अपने कामों से। लेकिन आज दुःख है कि वहां की स्थिति ऐसी है जिसके ऊपर हम सभी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। पिछले दिनों में उस विश्वविद्यालय की विशेष रूप से स्थिति बिगड़ गयी। उसका मुख्य कारण है कि वहां के छात्रों के अन्दर, छात्रों और अध्यापकों के बीच कभी-कभी संघर्ष होता है, कभी-कभी एक टेंशन की भावना पैदा होती थी। लेकिन दुर्भाग्य से वहां के अध्यापकों के बीच में दो गुट हो गये। अध्यापक वहां जातिवाद के नाम पर, संकीर्ण विचारधारा के नाम पर, रूढ़िवाद के नाम पर, प्रतिक्रियावाद के नाम पर दो विभागों में बंट गये। दो विभाग हो गये अध्यापकों के और अध्यापकों ने अपनी गुटबाजी के लिये छात्रों को इस्तेमाल किया, वहां के विश्वविद्यालय के प्रशासन का इस्तेमाल किया, और दुर्भाग्य यह था कि पिछले जो वहां के वाइस-चांसलर थे वह इसके शिकार बने। गजेन्द्रगडकर रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार से वाइस-चांसलर ने अपने पद और अपने कार्यालय का उपयोग अपने गुट के हित में और अपनी संकीर्ण विचारधारा के हित में उन्होंने किया। ताकि वह अपने को मजबूत बना सकें, अपने गुट को मदद कर सकें। उन्होंने बहुत सी नियुक्तियां कीं जो योग्यता के आधार पर नहीं थीं। उन्होंने बहुत से ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित किया जो विश्वविद्यालय के वातावरण को विषाक्त बनाने के लिये जिम्मेदार थे। उन्होंने इस प्रकार के झूठे और मनगढ़न्त आरोप केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री और शिक्षा मन्त्रालय पर लगाये जिनसे वह अपनी शक्ति को मजबूत कर सकें और अपने आरोप को सही साबित कर सकें। इससे वहां की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई और आज विश्वविद्यालय बन्द है। यह चिन्ता की बात है और मैं शिक्षा मन्त्री से कहना चाहता हूं कि अगर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान ढूंढना है और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को उसका पिछला गौरव प्राप्त कराना है तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के माध्यम से देश की सेवा करानी है, तो यह वही विश्वविद्यालय है जहां देश के अच्छे से अच्छे शिक्षा शास्त्री और अध्यापक रहे हैं, यही विश्वविद्यालय है जहां टेकनालाजी की साइंस की, मेडिसिन की, विज्ञान की, कला की और हमारी दूसरी भारतीय संस्कृति की बहुत सी फैकल्टीज हैं, यह उनका बड़ा भारी केन्द्र है, यही वह विश्वविद्यालय है जहां एक प्रांगण के अन्दर छात्रों और अध्यापकों को तमाम सुविधायें प्राप्त हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य से वह बन्द है, अगर वहां की समस्याओं का निदान करना है, तो कुछ

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मौलिक बातें हैं जिन के ऊपर माननीय शिक्षा मन्त्री को ध्यान देना होगा क्योंकि यह केवल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ही बात नहीं है, दूसरे विश्वविद्यालयों में भी ऐसी घटनायें घटी हैं ।

12 hrs.

आज हमारा दुर्भाग्य है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी घटनायें घटी हैं जिनके कारण हमारी लड़कियां वहां निर्भीकता से निकल नहीं सकतीं, हमारे बच्चे अपने को आरक्षित महसूस करते हैं, वहां के अध्यापक आज महसूस करते हैं कि उनके ऊपर किसी भी समय आक्रमण हो सकता है, वहां पर पढ़ने वाले लड़के यह महसूस करत हैं कि किसी वक्त उनको गलत आरोप लगाकरके निष्कासित किया जा सकता है । वहां पर इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, इस बात की ओर हमारा ध्यान जरूर गया है, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि इससे शिक्षा के अन्दर एक बुनियादी प्रश्न जुड़ा हुआ है, चाहे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रश्न हो चाहे किसी दूसरी बात का प्रश्न हो । आज शिक्षा मंत्रालय को इन सवालों के बारे में हिम्मत से काम करना पड़ेगा । मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर क्यों शिक्षा संस्थायें बनी हुई हैं । एक बार इसके लिये एक विधेयक भी इस सदन में आया लेकिन अजीब हमारा प्रजातन्त्र है कि थोड़ा सा दबाव पड़ा और उसको सरकार ने वापस कर लिया ।

आज इस देश में हिन्दू के नाम पर विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, आज मुसलमान के नाम पर विश्वविद्यालय खुले हैं, अग्रवाल के नाम पर खुले हैं, ब्राह्मण के नाम पर खुल हैं, यादव और क्षत्री के नाम पर खुले हुए हैं । यह कलंक है हमारी शिक्षा के क्षेत्र में । रोज हम कहते हैं कि हम एक प्रजातन्त्र राष्ट्र हैं, हम धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र हैं, लेकिन यहां पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम विश्वविद्यालय और कालिज खोलते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्दर क्यां मन्दिर खोलने की इजाजत दी गई । काशी खुद मन्दिरों की एक बड़ी नगरी है, धर्म का वह बड़ा भारी केन्द्र है । वहां पर बहुत से मन्दिर थे । क्या जरूरी था कि काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में मन्दिर बने ? क्या जरूरी था कि आप दुर्गा और देवी का मन्दिर शिक्षा संस्थाओं में बनायें । क्या इस के बाद हम धर्म-निरपेक्ष रह सकते हैं देश में ? यह होने वाला नहीं है, यह विरोधाभास है, और इस प्रकार की कमजोरियां हमें प्रजातन्त्र से दूर करनी पड़ेंगी । अगर हम चाहते हैं कि देश ठीक हो, समाज ठीक हो, भविष्य ठीक हो, तो जरूरी है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों का शिक्षा संस्थाओं में अन्त हो । आज वहां पर आर० एस० एस० का जोर है । बतलाया जाय कि किन परिस्थितियों में आर०एस०एस०की बिल्डिंग बनी । आज मैं गजेन्द्रगडकर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत के साथ इस बात को कहा है कि केन्द्रीय सरकार को इसके लिये पहले से ही कदम उटाना चाहिये था । आज वह विश्वविद्यालय आर० एस०एस० का केन्द्र बना हुआ है । एक ऐसी संस्था का, जो प्रजातन्त्र के खिलाफ काम करती है, जो हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों को बरबाद करना चाहती है, वहां अड्डा बनाया जाय, उसके छात्र वहां शाखायें लगायें, उसके नाम पर हर प्रकार का उत्पात किया जाय, इस को बिल्कुल बन्द करना चाहिये । आर०एस० एस० की बिल्डिग को विश्वविद्यालय के खुलने से पहले काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण से हटाया जाय, इस बात की मैं मांग करता हूं ।

पहली सितम्बर को आप विश्वविद्यालय को खोलने जा रहे हैं । अभी तक आपने किसी वाइस चांस्लर को नियुक्त नहीं किया

है । वगैर किसी वाइस चांस्लर को नियुक्त किये हुए अगर विश्वविद्यालय को खोल दिया गया और वहां के छात्रों और अध्यापकों में आपसी विश्वास और सहयोग की भावना पैदा नहीं हुई, जिन कारणों से विश्वविद्यालय में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई उन का निराकरण नहीं किया गया, तो फिर आप को दुबारा इस परिस्थिति का मुकाबला करना होगा और विश्वविद्यालय फिर से बन्द होगा । इस की मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं । आप छात्रों और प्राध्यापकों के बीच सद्भावना पैदा कीजिये ताकि वह महसूस करें कि हमें इस विश्वविद्यालय को और उस की सम्पत्ति को बचाना है, हम को मिल कर काम करना है । आज जो अविश्वास की भावना पैदा हुई है उस के सारे कारण दूर नहीं हुए हैं । आप वाइस चांस्लर को नियुक्त नहीं कर पाये हैं और विश्वविद्यालय को खोलने जा रहे हैं, यह दूसरा खतरा होगा और यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर आप को विश्वविद्यालय दुबारा बन्द करना पड़ा ।

इस लिये आप किसी ख्याति प्राप्त शिक्षा शास्त्री को, ख्याति प्राप्त व्यक्ति को समझा बुझा कर, प्रार्थना कर के वहां वाइस चांस्लर बना कर भेजें । आज स्थिति यह हो गई है कि कोई आदमी जो अच्छा है काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का वाइस चांस्लर हो कर जाने के लिये तैयार नहीं है । आज वह समझता है कि अगर मैं वहां गया तो मेरे खिलाफ आन्दोलन हो सकता है, मेरे ऊपर आरोप लग सकते हैं और मेरा पूरे का पूरा केरियर बरबाद हो सकता है । ऐसी स्थिति में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पहुंच गया है । इस लिये आप किसी आदमी को यह समझा कर वहां भेजिये कि हमारा इतना बड़ा शिक्षा का केन्द्र आज बरबाद हो रहा है । आप उस को पहले नियुक्त कीजिये । वह वहां जा कर पहले छात्रों से मिले, प्राध्यापकों से मिले ताकि उन से मिलने के बाद वह ठीक से वहां पर काम कर सके ।

इस के बाद जो सुझाव मैं देना चाहता हूं वह यह है कि वहां के हमारे अध्यापकों और प्राध्यापकों को काफी शिकायत रही है क्योंकि वहां ऐसी नियुक्तियां की गई हैं जिन में योग्यता का ध्यान नहीं रक्खा गया है । अकेडेमिक केरियर का ध्यान नहीं रक्खा गया है तथा जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, उन्होंने कभी किसी गुट की मदद की थी इस गुटबाजी के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं । आप इस की जांच कराइये और आज इस बात का आश्वासन दीजिये कि ऐसे अध्यापक और प्राध्यापक, जो योग्य हैं जिनके अन्दर क्षमता है, इस गुटबाजी का शिकार नहीं बनने पायेंगे । उन के साथ न्याय होगा और उन के अकेडेमिक केरियर के आधार पर उन के प्रमोशन और नियुक्ति होगी तथा विश्वविद्यालय का वातावरण सुधारने की कोशिश की जायेगी ।

आप कार्यकारिणी और अकेडेमिक कौंसिल का निर्माण फिर से कीजिये और इस बात का ध्यान रखिये कि अब ऐसे लोग, जिन के ऊपर गुटबाजी के आरोप थे और जिन्होंने पिछले दिनों विश्वविद्यालय के वातावरण को बिगाड़ा है, वह इस नई कार्य समिति के अन्दर और नई अकेडेमिक कौंसिल के अन्दर कोई स्थान नहीं पायेंगे । जिन लोगों ने गुटबाजी की है और विश्वविद्यालय की स्थिति को बिगाड़ने में हिस्सा लिया है किसी जाति या बिरादरी के प्रभाव में, उन को विश्वविद्यालय में कोई स्थान नहीं होगा केवल अकेडेमिक और आउटस्टैंडिंग केरियर के लोग ही एग्जिक्यूटिव कौंसिल में होंगे । गजेन्द्रगड़कर ने सही कहा है कि आप केवल शो बाडी ही नहीं बनायेंगे । आप ऐसे लोगों को भेजिये जो विश्वविद्यालय में दिलचस्पी लें, जो मीटिंग्स में जायें, जो वहां के प्रशासन को समझते हों और उस को सुधारने की कोशिश करें । मैं इस लिये यह कह रहा हूं कि जब तक यह कदम नहीं उठाया जाता, जब तक नई एग्जिक्यूटिव कौंसिल नहीं बन जाती, जब तक नई कार्यकरिणी नहीं बन जाती, आप

[श्री चन्द्रजीत यादव]

के वाइस चांस्लर की, जो वहां का प्रधान होगा, नियुक्ति नहीं हो पाती है और आप विश्वविद्यालय खोल देते हैं तो विश्वविद्यालय के अन्दर एक आन्दोलन की स्थिति पैदा हो जायेगी ।

मुझे बतलाया गया है कि श्री जोशी ने 500–700 लड़कों की लिस्ट तैयार कर डाली है और उन्होंने इस बात की हिदायत दे रक्खी है कि यह लड़के विश्वविद्यालय में फिर से प्रवेश न लेने पायें, उन लड़कों को विश्वविद्यालय के अन्दर न आने दिया जाये । श्री जोशी के बारे में स्वयम् श्री गजेन्द्रगड़कर ने कहा है कि वह योग्य होते हुए भी इस बात के अयोग्य थें कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वाइस चांस्लर रहते हैं । उन्होंने सिफारिश की थी कि उन को वहां से हटाया जाये । ऐसे आदमी ने जो लिस्ट तैयार की है उस के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रक्खा जाय कि लड़के किसी तरह से उन की तैयार की हुई लिस्ट के कारण किसी जातिवाद के शिकार न हो जायें और उन को भरती से रोक दिया जाये विश्वविद्यालय औ कालेजों के अन्दर अगर उन को रोका गया तो लड़कों के अन्दर एक असन्तोष पैदा होगा और फिर से आन्दोलन की नई बुनियाद पड़ जायेगी । इस बात का आप को ध्यान रखना चाहिये ।

अभी हमारे शिक्षा मंत्री ने वहां के कुछ डीन्स को बुलाया है । ठीक है कुछ प्रयास आप कर रहे हैं । इस में हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन एक बात का ध्यान रक्खें कि केवल डीन्स को बुलाने से काम नही चलेगा । आप वहां के प्रमुख अध्यापकों और प्रोफेसर को बुलाइये और आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय के सारे अध्यापकों से बैठ कर मिलिये, छात्र नेताओं से बैठ कर बात कीजिये । ऐसे बहुत से डीन्स थें जो एक गुट की गुटबाजी के शिकार हुये थे । आज सारे देश के अन्दर इस बात की मांग है और नई पीढ़ी आ रही है जो नई विचारधारा नये दृष्टिकोण और नये सिद्धान्तों के लिये संघर्ष कर रही है । छात्रों के साथ इस प्रकार का दृष्टिकोंण कि अगर वह कोई बात करते हैं तो उन्हें अनुशासन के कोड़े मार कर ठीक किया जायेगा यह भ्रम पैदा कर रहा है । इस तरह से शासन व्यवस्था नहीं चला करती है । सारी दुनिया में बहुत से विश्वविद्यालयों के अन्दर छात्रों ने यह मांग की है कि उन को अपना वाइस चांस्लर नियुक्त करने का अधिकार दिया जाये । आज यूगोस्लाविया के अन्दर दो विश्वविद्यालयों में वहां के छात्रों ने अपने वाइस चांस्लर का चुनाव खुद किया है । उन को इस बात की पावर दी गई । मैं नहीं कहता कि आप आज इस बात को मान लीजिये । लेकिन इस प्रकार की बातें हैं जिन में छात्रों का सहयोग हो सकता है । छात्रों की विचारधारा का प्रतिनिधित्व वहां की एग्जिक्यूटिव कौंसिल में हो अकेडेमिक कौंसिल में हो आप उन के साथ बैठिये ताकि उन को भी एक सेन्स आफ पार्टिसिपेशन महसूस हो । वह महसूस करें कि अगर विश्वविद्यालय की स्थिति अच्छी होनी है तो उस में हमारा सहयोग है । बिगड़नी है तो इसके लिए भी वे जिम्मेदार हैं । यह भावना विद्यार्थियों के अन्दर पैदा होनी चाहिये । आपने आश्वासन दिया है कि सरकार इस पर विचार कर रही है । मैं चाहता हूं कि इसका भी कोई रास्ता निकाला जाए, कोई मार्ग निकाला जाय ताकि विद्यार्थियों को साथ ले कर हम चल सकें ।

इस विश्वविद्यालय में जो स्थिति है उस पर सारे सदन में चिन्ता व्यक्त की गई है । मैं आपको अपनी ओर से तथा अपने सहयोगियों की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इस विश्वविद्यालय की स्थिति को सम्भालने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए जो भी कदम उठायेंगे, उन कदमों में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, उनका हम पूरा पूरा समर्थन करेंगे । हम चाहते हैं कि हमारा यह विश्व-

विद्यालय खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करे ताकि देश की और समाज की तथा उस क्षेत्र की जनता की वह सही मानों में सेवा कर सके । इस विश्वविद्यालय के अन्दर बहुत सी टैक्नीकल इंस्टीट्यूटस हैं । आप से इसके बारे में अलग से भी बात हुई थी। एक जो इंस्टीट्यूट है आई० आई० टी० उसको कुछ स्वायत्त अधिकार दिये गये हैं ताकि स्वतन्त्र रूप से विश्वविद्यालय की सीमा के अन्दर रह कर वह काम कर सके। उसको तोड़ने की कोशिश की गई केवल गुटबाजी में फंस कर । न्यायालय के आदेशों से उसकी वह स्थिति आज बनी हुई है । लेकिन इसके पहले कि न्यायालय दूसरा आदेश दे आप देखें कि विश्वविद्यालय की सीमा में रहते हुए उसके प्रशासन के अन्दर रहते हुए वह उन स्वायत्त अधिकारों का उपयोग कर सके, अपने काम को ठीक से कर सके ।

गजेन्द्रगड़कर रिपोर्ट में एक सिफारिश यह भी की गई है कि इसको केवल पोस्ट ग्रेजुएट सैंटर बनाया जाए। यह एक बेसिक सवाल है । अगर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ही इसको बनाना है तो जितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं उन सब पर यह बात लागू होगी। जहां गजेन्द्रगडकर कमेटी ने दूसरी चीजों की जांच की है वहां उसने एक यह बुनियादी सवाल भी उठाया है और इस पर अपनी राय भी दी है । मैं समझता हूं कि यह मान्य नहीं होना चाहिये । वह विश्वविद्यालय ऐसा है जिस में दस बारह हजार लड़के जो दूर नहीं जा सकते हैं जो आसपास के हैं वहां अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्सिस करते हैं इनकी स्टडीज के लिए भी जाते हैं । आप इस पर विचार करें इस पर सोचें और इसको फिल्हाल लागू न करें और इनका प्रवेश रोक न दें। यह एक बुनियादी सवाल है । अगर आपको इस सिफारिश को मानना है तो इसके ऊपर आप एक दूसरी कमेटी बिठायें वह इसकी जांच करे । लेकिन अभी किसी प्रकार का ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये ।

मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय खोलने से पहले आप कुछ ऐसे कदम उठा लें ताकि वहां सहयोग की, सद्भाव की, आपसी विश्वास की भावना पैदा हो और आप आश्वस्त हो जायें कि विश्वविद्यालय खुलेगा तो साल भर चलेगा । ऐसी स्थिति नहीं आ पायेगी कि उसको दुबारा बन्द करना पड़े ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : मैंने एक एमेंडमेंट दिया है । मैं कई रोज से कह रहा हूं कि मुझे मौका दिया जाये ।

श्री शिव नारायण : हमें समय मिले तो बैठें नहीं तो दूसरा काम करें । We are teachers; we know the ins and outs.

अध्यक्ष महोदय : आप ह्विप के पास जायें ।

श्री शिव नारायण : आप इस हाउस के मालिक हैं । The Whip will ignore us, but you should not ignore us.

अध्यक्ष महोदय : शिव नारायण जी को वापिस ले आयें । उनको बुला लेंगे ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रहा है, उसे देख कर आज देश के प्रत्येक नागरिक का हृदय बड़ा दुखी है । यह वह संस्था है जिस का हम ने परतंत्रता के युग में निर्माण किया था, हम ने इस कल्पवृक्ष का विकास किया था । हमारा यह मनोरथ था कि इस पर लगे हुए फूलों से और इस पर लगे हुए फलों से, उनकी सुगन्धी से, उनके अमृतरस से हमारा राष्ट्रीय जीवन सिंचित होगा और हमारे राष्ट्रीय जीवन को एक बहुत बड़ी शान्ति और बहुत बड़ी प्रगति मिलेगी । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि परतंत्रता के युग में इस संस्था से और इस कल्प वृक्ष से हमारी आशायें बहुत दूर तक पूरी भी हुईं । परन्तु उसके साथ साथ आज यह देख कर हृदय में बड़ा क्लेश होता है कि जिस वृक्ष का हम ने विकास किया था

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

परतंत्रता के युग में, आज स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण के युग में, उस कल्प वृक्ष का विनाश हो रहा है और वह मुर्झा रहा है।

बहुत सी बातें यहां कही गई हैं। मैं समझता हूं कि गजेन्द्रगडगर समिति की सारी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अगर कोई निष्कर्ष वहां की व्याधि का और बीमारी का निकाला जा सकता है तो एक ही निकाला जा सकता है कि वहां जो बीमारी फैलाई गई है, जो उपद्रह खड़े किये गये हैं, उन सब के पीछे एक ही कारण है और वह कारण यह है कि वहां पर सब राजनीतिक दलों और पार्टियों के बिल्ले लिये हुए जो लोग विद्यार्थी नेता हैं, उन्होंने ही संघर्ष की स्थिति पैदा की है और झगड़ा पैदा किया है। उसी कारण से वहां का वायुमंडल विषाक्त हो गया है। इस सारी रिपोर्ट में तीन चार विद्यार्थियों के नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे, कहीं तो मजुमदार का नाम पढ़ने को मिलेगा, कहीं एन० पी० सिन्हा का कहीं रवी शंकरसिह का और कहीं दामोदर सिंह का वस्तुस्थिति यह है कि वाइस चांसलर जोशी वहां की परिस्थिति को देख कर उसके चंगुल में फंसे। पहले तो वह मजुमदार के चंगुल में रहे। मजुमदार वह विद्यार्थी है जो समाजवादी युवजन संघ का नेता है। वह विद्यार्थी यूनियन का वाइस प्रेजीडेंट और कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भी था। जोशी जी उसके सहारे सारा काम निकाल रहे थे। थोड़े दिन चलने के बाद जब उन्होंने देखा कि इस विद्यार्थी नेता का हौसला बहुत अधिक बढ़ रहा है, और वह वहां पर इतना ज्यादा हावी हो रहा है, उसकी शक्ति इतनी बढ़ रही है कि मैं उसको साथ लेकर नहीं चल सकता तब उन्होंने अपना कांटा बदला और कांटा बदल कर दूसरे विद्यार्थी नेता दामोदर सिंह जो कि आर० एस० एस० के बताये जाते हैं, उसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ा। उसको उन्होंने गले लगाया और मजुमदार के मुकाबले में उसका नेतृत्व खड़ा करने का प्रयत्न किया। इस सारी कहानी का एक ही मतलब है। चाहे युवजन समाजवादी दल हो, चाहे एन० पी० सिन्हा की सी० पी० आई० हो या दामोदर सिंह का आर० एस० एस० हो और चाहे कोई कांग्रेस के नेता हों, सब को यह निश्चित करना पड़ेगा, सब को राजनीतिक दलों से अपील करनी पड़ेगी कि अगर वे चाहते हैं कि हमारी संस्थायें ठीक से चलें तो वे इनकी तरफ नहीं देखेंगी। जैसी आज इस विश्वविद्यालय की स्थिति बन कर हमारे सामने आई है, अगर हम चाहते हैं कि ठीक से वहां जो रोग है उसका निदान हो तो हम सब को फैसला करना चाहिये कि कम से कम कोई राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल का नेता बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की तरफ नहीं देखेगा, उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

आप देखें कि राजनीतिक दल किस तरह से चालाकी से काम करते हैं। लड़ाई वहां राजनीतिक दलों की है लेकिन इस लड़ाई को साम्प्रदायिक रूप दिया जा रहा है, इसको साम्प्रदायिक लड़ाई बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह बात कही जाती है कि वहां साम्प्रदायिकता है तो फिर तो आप को इस देश की भूमि में कोई एक इंच जगह भी नहीं मिलेगी जहां साम्प्रदायिकता न हो, जो साम्प्रदायिकता से शून्य हो। कल हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि चोरी करते हुए मकबूल पकड़ा गया। मकबूल के साथ जो ज्यादती हुई, हम उसकी निन्दा करते हैं, हम सब की उनके साथ सहानुभूति है। हम महसूस करते हैं कि उसकी हत्या जिस तरह से की गई वह दर्दनाक कहानी है। लेकिन एक सदस्य ने कहा कि जब वह पकड़ लिया गया और यह पता चला कि वह मुसलमान है तो उसको जान से मार दिया गया। उन्होंने इसको साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। अगर उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ा होता, इसकी फाइंडिंग्ज को पढ़ा होता तो उनको पता चल जाता कि उनकी बात कितनी निराधार है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है :

"From the evidence before us, we are satisfied that the assault on Maqbool had nothing to do with the community or religion of the victim."

साफ कहा है कि मकबूल की हत्या जो है उसमें उसके पीछे उसके मजहब का, उसकी जाति का कोई भी कारण नहीं है। इसके बावजूद भी यहां कहा जाता है कि उसकी हत्या इस कारण कर दी गई कि वह मुसलमान था। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लड़कियों को छेड़ा गया वे किस कौम की लड़कियां थीं ? अगर दुर्भाग्य से उनमें कोई मुसलमान लड़की होती तो आप अवश्य कहते कि मुसलमान लड़की के साथ यह किया गया। असल में बात यह नहीं है। बात यह है कि गुंडे लोग जब गुंडापन करते हैं, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, तो वे कोई डिसटिंकशन नहीं करते हैं, कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं करते हैं। यहां खड़े हो कर इस तरह से इस चीज को रंग देना और इस तरह से कलंक को और अपराध को धो देना और इसको दूसरा ही रंग देना उचित नहीं है। अगर यही तरीका रहा तो विश्वविद्यालय का जो रोग है उसका निदान नहीं खोजा जा सकेगा। मैं कहूंगा कि सभी पोलिटिकल पार्टीज अपने दिल पर हाथ रखें और देखें कि उनका क्या रोल रहा है। जो षड्यंत्र चलते हैं, जो साजिशें चलती हैं, उन से इस संस्था को बचाना होगा।

कुछ विद्यार्थी वहां निकाले गये, कुछ को दुबारा दाखिल किया गया, कुछ को किसी ने निकाला, कुछ को किसी ने दाखिल किया। दोनों तरफ से गलती हुई ! लेकिन समिति ने कहा कि जो तीन विद्यार्थी निकाले गये, उसमें प्रोसीजरल गलती जरूर हुई लेकिन नीयत की गलती नहीं थी, जो अपराधी थे वही निकाले गये। ऐसी स्थिति में किस मुंह से यहां खड़े हो कर कहा जाता है और इन विद्यार्थियों का समर्थन किया जाता है, समझ में नहीं आता है। जो सारे वातावरण को बिगाड़ रहे थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी को बरबाद कर दिया, उनको जब निकाला जाता है तो यहां उनकी बर्किंग की जाती है, उनका समर्थन किया जाता है, उनको समर्थन दिया जाता है। ऐसी अवस्था में यह विश्वविद्यालय शान्तिपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकता है, वहां शान्ति स्थापित नहीं हो सकती है, वह चल नहीं सकता है शान्ति से।

समिति ने कुछ सिफारिशें भी की हैं, सुझाव भी दिये हैं। उसने कहा है कि अगर रोग का उपचार करना है तो विद्यार्थी यूनियंज पर पाबन्दी लगानी होगी। आपको हिम्मत कर तय करना होगा कि विद्यार्थी यूनियन में कोई विद्यार्थी जो राजनीतिक दल से सम्बद्ध रहा हो, आ नहीं सकेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि विद्यार्थी यूनियन में ऐसा कोई छात्र नहीं आ सकेगा, जो दो बार फेल हो चुका हो या जो बराबर फेल होता रहा हो या जिस को बाहर से आर्थिक सहायता मिलती हो। मंत्री महोदय को इस बात का प्रयत्न करना होगा कि विद्यार्थी यूनियन राजनैतिक दलबन्दी और जातीयता से दूर रहे।

डा० गजेन्द्रगडकर ने इस विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाये रखने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं, जिन में से एक यह है कि उस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत केवल पोस्ट-ग्रेजुएट, टेक्निकल और प्रोफेशनल कालेज रहें और अन्य सब कालेज बन्द कर दिये जायें। मैं उनके इस सुझाव से सहमत नहीं हूं। समय कम होने के कारण मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि डा० गजेन्द्रगडकर की रिपोर्ट का यह सुझाव कभी भी मान्य नहीं होना चाहिये। अगर इस सुझाव को कार्यान्वित किया जायेगा, तो उस विश्वविद्यालय का सारा स्वरूप ही समाप्त हो जायेगा।

इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अफ़सोस है कि विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाये रखने की आड़ में हिन्दी का भी विरोध किया जाता है। माननीय

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

सदस्य, श्री कन्डप्पन, इस समय सदन में नहीं हैं। हमारी मुश्किल यह है कि डी० एम० के० के माननीय सदस्य जब भी यहां खड़े होते हैं, सदन के सामने चाहे कोई भी विषय हो, वे उसमें किसी न किसी प्रकार हिन्दी के प्रश्न को भी ले आते हैं और सारा दोष हिन्दी पर ही थोप देते हैं। मुझे खयाल आता है कि अगर किसी दिन इस देश को चन्द्रमा पर अपना कोई आदमी भेजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे डर है कि डी० एम० के० की तरफ से यह शर्त लगाई जायेगी कि कोई हिन्दी बोलने वाला चन्द्रमा पर नहीं भेजा जाना चाहिये।

माननीय सदस्य यह क्यों भूल जाते हैं कि जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में, यह विश्वविद्यालय स्थित है, यह स्वाभाविक और आवश्यक है कि उस देश और उस क्षेत्र से ज्यादा लोग उसमें आयेंगे और उससे फायदा उठायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय रूप बनाये रखने के नाम पर हिन्दी का विरोध किया गया और उसमें इंगलिश को रखने का प्रयास किया गया—मुझे आशा है कि वर्तमान शिक्षा शंत्री महोदय के रहते ऐसा नहीं किया जायेगा—, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत का एक एक व्यक्ति उसका विरोध करेगा और इस प्रयत्न को कभी भी सफल नहीं होने देगा।

मैं शिक्षा मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं। मैं समझता हूं कि इस बिल को प्रस्तुत करते समय उन्होंने सीधे और स्पष्ट रूप से जो आश्वासन दिये हैं और सारी बातें कही हैं, आजकल का कोई भी राजनैतिक मंत्री वैसा नहीं कर सकता है। आज स्थिति यह है कि पता नहीं इस सरकार में सुबह कौन मंत्री रहे और शाम को कौन रहे। मैं चाहता हूं कि वर्तमान शिक्षा मंत्री अपने पद पर बने रहें। उनके हाथों में इस विश्वविद्यालय के हित सुरक्षित है। मैं कहना चाहता हूं कि यह उनकी भी परीक्षा है। यह देखा जायेगा कि वहां कैसा वाइस-चांसलर नियुक्त किया जायेगा और किस प्रकार के नामीनेशन होंगे। इस परीक्षा में सफल होने के लिये मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में बहुत सतर्क रहना होगा। अगर विश्वविद्यालय में यही वतावरण रहा, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की यही स्थिति रही और वहां पर इसी प्रकार जातीयता और राजनीति जारी रही, तो फिर चाहे किसी को आसमान उतार कर भी उपकुलपति बना कर भेजा जाये, वह सफल नहीं हो सकेगा। फिर माननीय सदस्यों को भी कहना पड़ेगा कि इसमें डा० जोशी का दोष नही था, बल्कि उस विश्वविद्यालय के वातावरण का दोष था।

अगर उस संस्था को चलाना है और वहां के उपकुलपति को सफलता पूर्वक काम करना है, तो पहले वहां का वातावरण शान्त बनाना होगा, वहां की स्थिति को सुधारना होगा, जातीयता को वहां से खत्म करना होगा और राजनैतिक षड्यंत्रों को हटाना होगा।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने तीन दिन पहले अपना नाम दिया था, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब समय बहुत कम है। जिन सदस्यों ने एमेंडमेंट्स दिये हैं, उन्हें क्लाज-बाई-क्लाज डिसकशन में मौका दिया जायेगा। सब सदस्यों को मौका नहीं मिल सकता है। अब मैं मिनिस्टर साहब को जवाब देने के लिये बुलाता हूं।

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya): Before you proceed further....

MR. SPEAKER: If I proceed further, I will have to go by the list. You have sent your name very late. You should have sent it earlier....

SHRI S. M. KRISHNA: Just five minutes.

MR. SPEAKER: I am sorry.

The hon. Minister.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY (Hoshangabad): Sir, before the Minister replies, I would like to put two qüestions so that he may refer to them in his reply.

MR. SPEAKER: Later on, not now.

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): Mr. Speaker, Sir.

MR. SPEAKER: You will reply to both the resolution and the Bill.

DR. V. K. R. V. RAO: As I said before, I am entirely in your hands. But I believe that there will be a third reading after this. When we consider it clause by clause and even after hon. Members make any suggestions, I presume I have to say something in reply. As far as present time is concered, I shall try to be as brief as possible with the different points that have been made in view of the tremendous pressure on our time, I will try my best not to speak at any length.

MR. SPEAKER: Only very briefly.

DR. V. K. R. V. RAO: I will try my best to be brief.

I would like to clear some misunderstandings which I found are looming large in the speeches of several members. Several members asked me as to why I have abandoned the principles of elections, do I not believe in the principles of democracy how can we have a nominated executive and a nominated court. I think first of all the whole reason why the Gajendragadkar Committee recommended a nominated Court and a nominated Executive Council was that they said that the atmosphere in the University at the moment is such that everybody is involved in some manner or other and it is very important to create a new climate and a new atmosphere and, therefore, there should be no people on the Executive Council or on the Court who are involved either with one group or one caste or another. This is the reason why the Committee said that as an immediate and short-term measure there should be nominated Court and a small nominated Executive Council and a new Vice-Chancellor. Exactly the same thing was done in the case of Aligarh University because similar circumstances happened there and unrest was also there. There also all the elected bodies were replaced by nominated bodies. Unfortunately, in the case of Aligarh University the nominated bodies continued much longer than they should have. In this case the Gajendragadkar Committee themselves said that under no circumstances these nominated bodies should last more than three years. I have accepted that. Not only that I have gone even beyond that and I have given an assurance that I shall try my best to bring a comprehensive legislation for reconstituting the Banaras University as quickly as possible. Only I have to wait because all these recommendations they have made, the long-term recommendations to which several members have referred, require a study in depth. Several members said that they are not in agreement. I myself am not sure if I should agree with many of the long-term recommendations, but I do agree that they require a great deal of study in depth. And I am also waiting for the report of the Committee appointed by the University Grants Commisison to go into the governance of the Universities. Then, my friend, Mr. Misra referred to students' participation. I am sorry I canont become young but I am quite prepared, if the hon. Member so feels, to write a letter to the Prime Minister to suggest that a young man

[Dr. V. K. R. V. Rao]

who has come into Parliament desires that an old man of sixty should not be in charge of the Department of Youth Services. I shall be glad and if he feels so, I am quite prepared to convey that suggestion to the Prime Minister. (*Interruptions*) I do not want to digress any more on this. Sir, if you will permit me, I would like to clear some misgivings of hon. Members.

Sir, in this connection, I want to point this out. I want to make it clear that my life and work has been an open book for any body to see. In whatever job I had been caught I have been putting in very very hard work—wherever I had been very much at the expense of my health. I get no special glory from sitting here as Minister. I look upon this as an oportunity for service, as an opportunity for hard work, for the country. I want to tell this House again and again that my career is behind me. I still have some years of useful service and useful work to render to the country. If hon. Members of this House either in my party or outside in large numbers seriously and genuinely believe—not for purposes of parliamentary debate, but if they really, genuinely and seriously believe—that a person like me should not be in this place I am quite prepared to go. From time to time somebody comes and tells me something or the other. The other day somebody told me; 'Sir, you are against democracy. You got into Parliament by election. And because you are an elected M.P., you became a Minister. Now you want to remove elections from the university." After all, I am a Minister, and I know I am putting in double the work and I am working at the expense of my health. I know it. I am now doing double the work which I did even as Vice-Chancellor. After all what I am doing is for the country and the country is important. May be, I have got some experience; may be, I have got some knowledge, may be some integrity may be some dedication. And, I want to devote them for the service of the country—not because I enjoy flying a flag or having a policeman to escort me.

It may be that I am too sensitive for politics, but I want to say this to the House. I have not asked for the permission of the Prime Minister to say this, but I want to say this. If large Members of Parliament in the congress party or outside genuinely feel that I am not doing a good job and that I should not be here I will not wait for a vote of no-confidence to be passed in the congress party. but I am quite prepare dto go and tell the Prime Minister that I cannot function in this job. I am sorry to say all these things. I did not want to say these things.

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं शिक्षा मंत्री से अर्ज करूंगा कि कम से कम अवकाश प्राप्त लोगों को वाइस-चांसलर न बनाएं ।

DR. V. K. R. V. RAO: That is a different matter. So, I want to make it clear that as far as elections are concerned the new Banaras Hindu University Act will be based on elections. There is no question of nominations being the basis of the structure of the university. And as soon as we get the U. G. C. Committee's report we shall try this, as I said, if possible by the winter of 1970-71 both in Aligarh university as well as in the Kashi Vishwa Vidyalaya; and we will try to bring in a comprehensive legislation.

I want to bring in students' participation but it will take time. Even Mr. Madhu Limaye's Bill is under circulation. It is being circulated for public opinion. It will come back I think sometime in March next year. The U. G. C. also is considering it. I am also thinking about it. In fact, I may tell the hon. Member who comes from Pandit Jawaharlal Nehru's constituency, that I had spent one whole hour this morning with

the Deans of the various faculties of the Banaras Hindu University and I wish the hon. Member had been there eavesdropping; I wish he had heard what I had told them about students' participation, about the new wind that is blowing in the university, about the need for teacher-students relations, about the need for proper dialogues and so on.

Only, Sir, I do not want to shout in public. I do not want to attack anybody in public. I do not want to condemn anybody in public. It has been my experience, Sir. Though I am not a Gandhian in the professional sense—it has been my experience as an administrator and as an educationalist——that the Gandhian way is the way of not making allegations, the way of not scribing motives, taking people's bonafides appealing to the best in them etc. That is the method I am going to follow. I am not trying to which hunt anybody or punishing people or being vindictive. If a given situation is there I want to carry all the people that I can with me consistently with the extent to which society will permit me to do so. Therefore, I want to assure this House as well as the young Member who spoke from that side of the House that student participation is not being neglected, but we cannot bring it in suddenly in a temporary Bill of this nature. This is only a stop-gap measure which is being brought in for the purpose of giving us time to do all the more important things that are required. We cannot introduce all the various reforms in this Bill. But I want to go on record as saying that I am all for democracy. I do not want a university to be run on the basic of nominations. I do not think that this measure will last for more than a period of three years which is the maximum. I shall try my best to see that it is finished much earlier than the period of three years.

There were one or two small misunderstandings about this question of the RSS using the building. Somebody said 'Why don't you show courage? Why don't you get it destroyed?' Sir, do not go about destroying buildings. But I would like to tell the House that the Government of India in the Ministry of Education had taken up this question of the occupation of this building by the RSS authorities. Negotiations have been going on, and a member of the executive council was specially appointed to negotiate for the purpose of this building being vacated, because it is not a building owned by the RSS but only used by the RSS. Negotiations have been going on, and the RSS people themselves with whom discusions were carried on recognised that if this was used by them, then all other cultural movements and semi-cultural movements also would claim to have their own buildings in the university campus, and this might give rise to considerable trouble and so on. So, negotiations are going on to have the building vacated, I would like this question to be resolved peacefully. I do not want to become a hero by saying 'I shall order the destruction of this building; have some blood-shed, have some shooting and have some murders and so on'. That is not the way that I can function. I would like to deal with this problem, and I am taking up this question, and I hope that with the goodwill of the people in the RSS organisation and other political parties, we shall be able to find a proper solution of this particular problem as quickly as we can.

श्री झारखंडे राय (घोसी) : अगर पीस-फुल तरीके से हल नहीं हुआ तो फिर तो कार्यवाही करेंगे न ?

DR. V. K. R. V. RAO: I do not want to refer to the points made by my hon. friend Shri Jharkande Rai, because it will take time; I shall talk to him privately about his own speech, and not here, because if I do so here

[Dr. V. K. R. V. Rao]

it will take time. But I want to tell him that I have got some respect for him and that is why I want to talk to him privately about this matter. I do not want to deal with it in a party manner.

There has been a lot of misunderstanding and also apprehension about the Institute of Technology. There has been a feeling that this Institute might be closed. This Institute was started in the University; then the Vice-chancellor and the executive council passed a resolution that it should be stopped. Now, the court is keeping it running. There is a very strong feeling among many people that this Iinstitute should continue. I have already told the House that this Institute will continue. It is true that the statute has got to be amended. The statute which they have sent is not in perfect order. The statute has got to be changed. The moment the Bill is passed and the new nominated executive council comes into existence, they have the power to put forward proposals for amending this statute, and we would suggest to them what amendments should be made. But the Institute will continue and there will be no question of the Institute being closed.

I was a little sorry that my hon. friend Shri S. Kandappan for whom I have got, if I may say so, a considerable amount of affection should have talked of the gentleman Dr. Udupa, who is a very distinguished man, and whom my predecessor in this office appointed as the Rector of the university when he was vice-chancellor, and said that he awarded himself the MBBS degree. I would again and again beg of this House that we do not enhance the prestige of the academic profession by denigrating people. I have said this before in this House. We politicians can say anything we like about each other, and it passes off our back as water passes off the back of a duck. But when we are dealing with professors, vice-chancellors, professors and academic dignitaries and so on, we are dealing with people who live in ivory towers and who are not used to the rough and tumble of political life. When we denigrate them and it gets published in the papers, it has a very bad moral effect. People laughed when it was said that he awarded himself the MBBS degree. But actually this particular gentleman has got high academic distinction. He is a Bachelor in Ayurvedic Medicine and Surgery from the Banaras Hindu University. When the students of the Ayurvedic college were in great trouble, they demanded that he should be appointed there, and he was the only person in whom they had confidence, and therefore he was brought there and he has been running the college very well. He is also a Master of Surgery from the Michigan University. He is also a Fellow of the Royal College of Surgeons Canada. He has been doing good work there and he enjoys a very good reputation also, and Dr. Triguna Sen had appointed him as the Rector, when he was the vice-chancellor there. If in respect of a person like that, my hon. friend, says that he awarded himself the MBBS degree it may sound funny all right, but the result of it is denigration and denigration of the teachers does not bring about academic peace or result in academic advancement.

A question has been asked whether the expelled students can be re-admitted. It is not at all an easy question to answer. Somebody said 'Be courageous'. I do not want to flaunt my courage. But within my own limits, I shall see what I can do. I am not a soldier; I am not a Punjabi; I am only a miserable man from the south; I also belong to the non-warrior caste. But, nevertheless, within my own limits, I have got a reasonable amount of courage. It is not a question of fear at all. **But I would**

like to tell my hon. friends that undoubtedly there was some procedural irregularity. I wish the hon. Members would also read what the committee themselves have said namely:—

"At this stage, we would like to make it clear that though we have commented on the procedure followed by the Vice-Chancellor in passing orders of expulsion against Mr. Majumdar, Mr. Ravi Shankar Singh and Mr. Sinha, we do not at all approve of their conduct in surrounding the vice-chancellor's car delivering several violent speeches and instigating the commission of violent acts on the University campus during the period that they were leading the agitation against the vice-chancellor. A large body of evidence given before us by witnesses whom we see no reason to disbelieve referred to these activitis of these three student leaders. From this evidence we are satisfied that they became power conscious and did try to throw their weight about. This, in our view, is not at all conducive to the maintenance of discipline on the University campus and the steady pursuit of academic work....On December 6 and 7, several acts of violence and hooliganism were committed on the University campus and it is not unlikely that they were committed by supporters of Mr. Majumdar and Mr. Sinha in order to bring home to the vice-chancellor their strength particularly because the expulsion orders passed by the vice-chancellor against the three students were very much resented by their friends.".

So, it is not all white and black. It is most important when we are trying to create an atmosphere of discipline and good-will that nothing should be done to spoil that. I can assure the House that any decision that we take will not be based on either pressures or cowardice or bravado but it will be based on the best judgment that we have, and with a view to see that the university gets re-created in the image in which it was started by the late Pandit Madan Mohan Malaviya.

I do not think that I should go into the other points. But I would request my hon. friend who has moved the statutory resolution not to press it, because I am not extending the ordinance at all beyond the period for which it is required. One hon. Member said 'Don't reopen the university till you appoint a vice-chancellor.' How can I appoint a vice-chancellor before the Act is passed? The Bill has to be passed into an Act, then the selection committee has to be appointed, and then the man has to be selected and he has got to be appointed. So, why should anyone try to say 'Oh, there will be explosion in the university I have been telling everybody to try to create an atmosphere where the university will reopen in a peaceful kind of way. I am trying to talk of all the teachers also, and I propose also to issue and appeal to the students, and I think all the Members here should also help in this. If anyone says 'Don't open, there will be explosion', then we would only create that impression in the people's mind thereby. So, I would beg of my hon. friends for one thing; I know that all political parties, whatever their party politics, and all those Members who come from UP and Bihar and who also belong to India have got respect for the Banaras Hindu University, irrespective of their personal party affiliations, and I am sure that they are all anxious that the university should reopen and function properly. I hope that nothing will be said in this House which will in any way disturb the proper reopening of the university.

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस निरनुमोदन के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के द्वारा विचार व्यक्त किये हैं, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

[श्री श्रीचन्द गोयल]

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा जब यह प्रश्न इस सदन के सामने आया कि क्या गजेन्द्रगडकर कमीशन उपकुलपति के कंडक्ट के बारे में विचार कर सकता है, उस समय हमारे जो शिक्षा मंत्री थे—डा० त्रिगुण सेन—उन्होंने इस सदन को आश्वासन दिया था कि गजेन्द्रगडकर कमीशन उनके कंडक्ट के सम्बन्ध में विचार नहीं कर सकता है । लेकिन बाद में इसमें गोल माल करके इस कमीशन ने उनके कंडक्ट के बारे में किसी प्रकार का प्रमाण पत्र उन के पास न होते हुए भी अपनी राय दी है । मैं यह समझता हूं कि उन्होंने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वाइस चांसलर श्री जोशी ने जो इस प्रकार के कदम उठाये, क्योंकि वहां पर अनेकों इस प्रकार के गबन की शिकायत थीं । गबन के जिन मुकदमों को दबा दिया गया था, वे साहस करके उनको प्रकाश में लाये और उन मामलों को पुलिस में दिया । इसलिये जिन भाइयों को उन से दुःख हुआ, हानि हुई, क्योंकि उनके गबन की बात रोशनी में आयगी—इसलिये उनके हृदय आज तड़प रहे हैं, फड़-फड़ा रहे हैं और यू० पी० के रहने वाले होते हुए भी उन्होंने इस प्रकार की अशिष्ट भाषा का यहां प्रयोग किया । मंत्री महोदय ने प्रार्थना की थी कि हम इस प्रकार की भाषा या विचारों का उपयोग न करें जिससे विश्व-विद्यालय का काम आगे चलाने में कठिनाई उपस्थित हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां हमारे माननीय सदस्यों ने, जिनके अपने राजनीतिक स्वार्थ इस मामले में निहित हैं, उन्होंने बिना किसी आधार के यहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को झाड़ने और बदनाम करने की कोशिश की है ..... (**व्यवधान**) ...

हमने भी आपकी बातें सुनी हैं, आप भी हमारी बातें जरा दिल खोल कर सुनिये । वहां पर हमारा एक भवन है—मंत्री महोदय ने उसके सम्बन्ध में उचित बात कही है कि उसके सम्बन्ध में बातचीत हो रही है कि यह भवन कब बना । यह भवन तो मालवीय जी के समय से है, जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तब से है और बाद में जब वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गतिविधियां चलने लगीं, तभी से दो कमरों का भवन उस के प्रयोग में आ रहा है, 1934 से लेकर आज तक आता रहा है । इस पर न किसी के कब्जे का सवाल था, तो इस विश्वविद्यालय के जो जन्मदाता थे, उन्हीं के द्वारा दो कमरे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गति विधियों के लिये दिये गये थे .....

श्री जनेश्वर मिश्र : कहीं कोई लिखा-पढ़ी थी ?

श्री श्रीचन्द गोयल : पं० मदन मोहन मालवीय इस बात में विश्वास रखते थे, पहचानते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियां विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिये हैं, देशभक्ति की भावना निर्माण करने के लिये हैं । हमारे मित्र चन्द्रजीत यादव यहां से चले गये हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साम्प्रदायिकता की भावना को फैलाने का प्रयत्न करता है । उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बारह-खड़ी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसीलिये वह इस प्रकार की भाषा में बोल रहे थे । हम वह लोग हैं, जिन्होंने 15–20 साल तक उस संस्था में मिशनरी के तौर पर काम किया है । मैं याद दिलाना चाहता हूं—जम्मू-काश्मीर के अन्दर जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, उस समय हमारी सेनाओं के वायुयान गलती से गोला-बारूद की 16 पेटियां दुश्मन के क्षेत्र में डाल आये में और इस बात का खतरा था कि यदि इन पेटियों को अपने इलाके में नहीं लाया गया, तो दुश्मन उनका उपयोग करके हमें

हानि पहुंचा सकता है । उस समय हमारी सेना के जो मुख्य अधिकारी थे उन्होंने अनेकों संस्थाओं से सहायता लेने की कोशिश की, वहां पर जो कांग्रेस का कार्यालय था, वे उस में भी गये और कहा कि कोई इस प्रकार के स्वयं सेवक या वालंटीयर दे सकते हैं जो वहां से पेटियां उठा कर ला सकें, लेकिन सब ने जवाब दे दिया, सेना के लोग भी इस को साहस के साथ करने को तैयार नहीं हुए, तब वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय में गये और उन्होंने अपने 20 नौजवानों को इस काम के लिए भेजा, जो 4 मील तक पेट के बल रेंगते हुए गये और गोला-बारूद की 16 पेटियों को उठा कर लाये ।

आप तो, अध्यक्ष महोदय, सीमा के पास के रहने वाले हैं । आपको पता है कि जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, उस समय आक्रमण के समय बिलकुल सीमा के पास जाकर किन लोगों ने कैन्टीन खोली थीं, किन लोगों ने उस मौके पर सेना की सब प्रकार से सेवा की थी । बड़े बड़े, अधिकारी इस बात को मानते हैं कि उस समय एक ही संस्था थी---राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ—जिसने आगे बढ़ कर अपनी देश भक्ति का परिचय दिया था, अपने नौजवानों की जान की बाजी लगा कर वहां पर खड़ा किया था। आज जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, देशभक्ति का प्रश्न आता है—उनके अन्दर जिस देशभक्ति की भावना और चरित्र का निर्माण किया गया है, वह उन के सहारे का काम करता है .....

अध्यक्ष महोदय : इस समय समस्या विश्वविद्यालय की चल रही है, उस के दरमियान इस चीज का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : सब लोग इसी प्रकार से बोले हैं । आप यहां सदन में नहीं थे, कांग्रेस दल के लोग और एस० एस० पी० के लोगों ने इसी विषय पर चर्चा की है ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक युनीवर्सिटी का सवाल है उसको रेफरेन्स के तौर एलाऊ कर दिया गया होगा । लेकिन आप तो देश की सीमा तक पहुंच गये हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समस्या का स्वरूप क्या है ? समस्या केवल इतनी है कि कुछ राजनीतिक दल वहां के विद्यार्थियों को अपना साधन बनाना चाहते हैं । अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए वे विद्यार्थियों क उपायोग करना चाहते हैं आन्दोलनों में इस्तेमाल करना चाहते हैं । इसके रास्त में जो वहां के मुख्य रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थियों हैं वे बाधा उपस्थित करते हैं वे इनको इस बात की आज्ञा नहीं देते हैं । काशी विश्वविद्यलय के विद्यार्थियों को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हुल्लड़बाजी करने वाले गुंडागर्दी करने वाले वाइस चांसलर के घर पर आक्रमण करने वाले और वहां के वायु मंडल को विषक्त करने वाले और दूषित करने वाले तत्वों का मुकाबला किया और उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं । आज उन लोगों को दिखाई देता है कि उनकी दूकान उठ रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में गवाही का हवाला देकर क्या कहा गया है । इसके पेज 75 पर श्री हृदयनाथ कुंजरू की शहादत का हवाला देकर कहा गया है :

"He reminded us that the active, politically-oriented student-leaders who had spear-headed the violent agitation on many occasions during the recent period have been publicly clamouring for the resignation or removal of Dr. Joshi, and his view was that if as a result of our recommendations Dr. Joshi relinquished his position as Vice Chancellor, these active leaders would deem it as their own victory and that would not only strengthen politically-oritented activist forces on the University campus, but would eventually

[श्री श्रीचन्द गोयल]

build up student power in its purely political form. The University representative also urged similar considerations befors us."

अब अपनी फाइंडिंग देते हैं :

"We agree that there is considerable force in the statements made before us by the witness to whom we have just referred."

अध्यक्ष महोदय आवेदन में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार से कुछ विद्यार्थियों को अपना इंस्ट्रूमेन्ट बनाकर उनसे झगड़ा करवा रहे हैं और मांग करवा रहे हैं। इस प्रकार के तत्व इस बात की मांग कर रहेहैं कि जोशी वहां से इस्तीफा दें। तो उन्होंने कहा इसका परिणाम यह निकलेगा कि यहां पर विद्यार्थियों की इस प्रकार की शक्ति बनेगी जो यूनिवर्सिटी के काम काज को आगे नहीं चलने देंगे। इस रिपोर्ट के अन्दर इस बात को स्वीकार किया गया है लेकिन इसके बावजूद श्री झारखंडे राय कहते हैं कि यह मामला तो राजनीतिक है इसका राजनीतिक ढंग से हल निकालना होगा। विद्यार्थियों के मामले को राजनीति में रंग कर वे अपना निहित स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। उनको कभी इस बात का ख्याल नहीं आता कि यह राजनीतिक मामला नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के अध्ययन का मामला है। वहां पर हमें अध्ययनशील वातावरण क निर्माण करना होगा। और इसके लिए जो वहां पर इस प्रकार के तत्व हैं जोकि वहां के वायु-मंडल को विषाक्त और दूषित कर रहेहैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी होगी। उनको कभी इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि यूनिवर्सिटी के वातावरण को विषाक्त करें और हजारों विद्यार्थियों के लिए हानि का कारण बनें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि यह विधेयक इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता इसलिए एक बार फिर से मैं इस प्रस्ताव का निरनुमोदन करता हुं।

MR. SPEAKER: The question is:

"This House disapproves of the Banaras Hindu University (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 7 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 17th July, 1969."

The motion was negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Banaras Hindu University Act, 1915, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The time allotted for this Bill by the Business Advisory Committee was 4 hours maximum. We are left with only 15 minutes. I hope hon. Members will help me to finish it within the allotted time.

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : इतना बड़ा बिल चार घंटे में कैसे समाप्त हो जायेगा ? मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। मेरा अमेंडमेन्ट है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात को सुनिये। आप अमेंडमेंट क्लाज 1 पर हैं, इसको मैंने देखा है। जब उस का मौका आयेगा तो आप मूव करेंगे और बोलेंगे।

We will take up Clause 2. Hon. members who want to move their amendments may get up and mention the numbers of their amendments.

Clause 2— Amendment of section 7B).

SHRI R. K. AMIN (Dhandhuka): I beg to move:

Page 1, lines 14 and 15,—

for "he may call for one or more fresh recommendations".

substitute—

"he shall give reasons for not accepting the recommendations and he may call for fresh recommendations either from the same Selection Committee or from another Selection Committee constituted by him:

Provided further that the Selection Committee before presenting their recommendations would discuss the needs of the University with—

(a) ex-Vice Chancellors;

(b) Chairman, University Grants Commission;

(c) Executive Council: and

(d) Senior members of the teaching staff." (86)

Page 1, lines 18 and 19,—

for "for a second term *substitute*—

"normally for the second term but in no case for more than two terms". (87)

SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH: I beg to move:

Page 1,—

for lines 11 to 15, *substitute*—

"(1) The Minister of Education shall be the ex-officio Vice-Chancellor with the right to delegate his powers to whomsoever he likes." (43).

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (भिंड) : आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2 पर, धारा 2 के भाग (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"(1) कुलपति की नियुक्ति ,कुलाध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिये गठित प्रवरण समिति के द्वारा सिफारिश किये गये पांच नामों में से किसी एक की, कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।"

SHRI B. P. MANDAL (Madhepur): I beg to move:

Page 1, line 17,—

for "three years" *substitute* "two years" (44)

Page 1, lines 18 and 19,—

for "for a second term" *substitute*—

"for two more terms" (45)

SHRI BIBHUTI MISHRA (Motihari): I beg to move:

Page 1, lines 12 and 13,—

for "a Selection Committee constituted by the Visitor for the purpose"

substitute—

"Central Education Minister" (78)

Page 1,—

omit lines 14 and 15. (79)

SHRI SIVA CHANDRA JHA (Madhubani): I beg to move:

Page 1, *for* lines 17 to 19—

substitute—

"two years" shall be substituted (7)

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : प्रथम इसके कि हम हिन्दू यूनिवर्सिटी के बिल के विषय पर विचार करें, उसका थोड़ा सा इतिहास बताना आवश्यक है । इतिहास इस तरह का है कि 1916 में जब ब्रिटिश सरकार इस देश में थी, उस समय श्री मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी और इसका लक्ष्य था—भारतीय संस्कृति, प्राच्य विद्या व पश्चिमी ज्ञान सम्बन्धी अध्ययन तथा विकास । यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि सन् 1947 तक जब तक कि ब्रिटिश सरकार यहां से चली नहीं

[श्री महन्त दिग्विजय नाथ]

गई, इसके अन्दरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ लेकिन 1947 से यह चीज प्रारम्भ हुई और सन् 1951 में एक संशोधन ऐक्ट बना, 1952 में आर्डिनेंस द्वारा केन्द्रने शासन अपने हाथ में लिया और आठ वर्ष आर्डिनेंस से इस यूनिवर्सिटी का संचालन किया गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि आठ वर्ष के अन्दर वह तत्व जो आज वहां विद्यमान है और जो उस की जड़ में गरम पानी छोड़ कर सत्यानाश करना चाहते हैं, वह उस आठ वर्ष की अवधि में, जब शासन ने विश्वविद्यालय का प्रशासन अपने हाथ में लिया, उस समय में लोग उसमें प्रवेश किये, और आज तक विद्यमान हैं।

कुछ माननीय सदस्य : कौन हैं ?

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : वह लोग कम्युनिस्ट हैं, और कौन हैं। (**व्यवधान**) मैं यह बताना चाहता हूं कि वह अब भी विद्यमान हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो कहते हैं "कौन लोग"? इंदिरा जी को साइंस कानफरेंस में जो डा० जोशी ने बुलायी थी, उस समय राजनारायण जी ने जो पार्ट प्ले किया है वह देश भूलेगा नहीं (**व्यवधान**) आप चुप रहिये**

श्री जनेश्वर मिश्र : पाइंट आफ आर्डर है। महन्त जी मेरे बुजुर्ग हैं। मैं ने इन को कहा भाषाई आन्दोलन चल रहा था राजनारायण जी ने उस में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि जब आप बोलते थे तो मैं चुप था, आप** अगर माननीय सदस्य इस तरह से गलत ढंग से बोलेंगे तो हम भी जानते हैं कि आप** और इस तरह की तूफानी बदतमीजी हम नहीं चलने देंगे, और मैं इस को बर्दाश्त नहीं कर सकता (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। महन्त जी आप मेरी तरफ देखिये, उसकी तरफ न देखिये। माननीय सदस्य उन को इंटरप्ट न करें। (**व्यवधान**) सब लोग इकट्ठे न बोलें।

श्री झारखंडे राय : मान्यवर, जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन को ऐक्सपंज कर दीजिये।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो आप के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। अगर आप उचित समझें तो आज इस समय की कार्यवाही से कम से कम ये शब्द निकाल दीजिये,** शब्द उन की ओर से हो और चाहे इन की ओर से कि** मैं चाहूंगा कि दोनों शब्द निकाल दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : आप की मर्जी से ये दोनों शब्द रेकार्ड से निकाल दिये जायेंगे। बुजुर्गों की इज्जत कीजिये।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : जो प्रस्तुत बिल है उस की व्यवस्था भी उसी प्रकार से की गयी है जो आर्डिनेंस द्वारा आठ वर्ष तक केन्द्र के शासन के समय की थी। इस बिल में सब से बड़ी आपत्तिजनक बात जो है वह यह है कि तमाम इलेक्शन को हटा कर के नौमीनेटेड तमाम बौडीज उस में नियुक्त की गयी है। मैं इस का विरोध इसलिये करता हूं कि आप उस के अधिकार, जो अटौनोमी आफ़ दी यूनिवर्सिटी है, उस को अगर आप समाप्त कर देंगे तो देश का कोई भी कार्य नहीं चल सकेगा। इसलिये मेरा आप से अनुरोध है कि उस चीज को आप हटा कर के इंजेक्शन वैसे ही करायें जैसे कि होने चाहियें।

**Expunged as ordered by the chair.

दूसरे जो इस का उद्देश्य था, उस वक्त राष्ट्रीयता की भावना इस देश में कम हो रही थी, तब यूनिवर्सिटी के लड़कों ने देश की स्वतंत्रता के लिये जो लड़ाई लड़ी.....

अध्यक्ष महोदय : आप का क्लाज दो पर अमेंडमेंट है । लेकिन आप सारी चीजों पर बहस करने लगे हैं ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मैं अपने संशोधन पर आता हूं ।

मेरे विचार में हमारे राव साहब से बढ़ कर के शिक्षाविद या शिक्षा का स्तर ऊंचा करने वाले हमारे इस देश में बहुत ही कम लोग हैं और हमने अपने संशोधन में यह सोचा कि बजाय इस के कि राष्ट्रपति के कंधे से बंदूक दागी जाय, क्यों कि जो शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे वही लोग विश्वविद्यालय में रखे जायेंगे । और वही वाइस-चांसलर होगा । इस लिये अच्छा यह होगा कि आप शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर वाइस-चांसलर की नियुक्ति का काम भी करते रहें तो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्यों कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप की अमेंडमेंट है कि यही रहें ?

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : आप वाइस-चांसलर नियुक्त करने जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा माप दंड होगा, कौन सा मेजरिंग राड होगा जिस के द्वारा आपको यह मालूम होगा कि डा० जोशी से यह अच्छे हैं । अभी आप ने एक अनुसंधान किया, ऐक्सपेरीमेंट करते करते आज तक आर्डिनेंस का पीछा आप ने नहीं छोड़ा । इस आर्डिनेंस से आप ने केवल एक ऐक्सपेरीमेंट किया और उस में आप नाकामयाब रहे । तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा साधन है जिस से यह मालूम होगा कि हम जो समझते हैं कि आप से बढ़ कर के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि यूनिवर्सिटी का संचालन करे ।

अब मुझे रजिस्ट्रार के बारे में कहन है । कोई कोआपरेशन उन्होंने डा० जोशी को नहीं दिया और रिपोर्ट से मालूम होता है कि रजिस्ट्रार बाधक थे, जो वहां का काम करने में बाधा डालते थे । इसलिये जो वहां गवन हुआ है, जिस में ज्योति भूषण और रजिस्ट्रार का नाम भी है, हम चाहते हैं कि उस की पूरे तौर से जांच की जाय और वह आदमी जल्दी से जल्दी वहां से हटा दिया जाय जो गबन का दोषी पाया जाय ।

जो अनियमित बातें कही जाती हैं कि बहुत सी नियुक्तियां अनियमित हुई हैं मैं एक बात और कह कर के शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वीमन्स कालेज के प्रिन्सिपल की नियुक्ति आप ने एक कमेटी के द्वारा की और उस कमेटी में डा० जोशी, डा० हजारी लाल, डा० आर० बी० पांडेय, डा० मोहन सिंह मेहता आदि, यह सब शिक्षाविद हैं । अब उस नियुक्ति को यह कहा जाता है कि यह इरेगुलर है । मैं कहता हूं कि अगर ऐसे अपौइंटमेंट जिस में शिक्षाविद् हों और जो लोग इस में पूर्ण जानकारी रखने हों, उस कमेटी की रिपोर्ट को इस तरह से टाल देना हमारे ख्याल से उचित नहीं होगा । हम समझते हैं कि आप इस पर विचार करेंगे और जो नियुक्तियां उन्होंने इस तरह से की हैं, जो कायदा कानून के खिलाफ़ नहीं हैं, उस के खिलाफ हम लोग कोई ऐक्शन न लें ।

अध्यक्ष महोदय : जो पहले बोल चुके हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़ दे दिये वह ठीक से आ चुके हैं । श्री कुशवाह, आप एक मिनट में अपना संशोधन मूव कर दें ।

श्री विभूति मिश्र : हमें मौका नहीं देंगे इस बिल के ऊपर बोलने का । राज्य सभा में 240 सदस्य हैं उन्होंने कितना समय लिया ।

अध्यक्ष महोदय : तो अगले हफ्ते बैठिये । मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : हम लोग जनता द्वारा चुने हुए हैं इसलिये हम लोगों को राज्य सभा से ज्यादा हक मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो सीनियर मेम्बर हैं । बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने इस का समय ऐप्रूव किया है ।

श्री विभूति मिश्र : हाउस तो सब से बड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : हाउस सब से बड़ा है, उसी ने चार घंटे किये हैं, मैं ने नहीं किये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : 1952 से आज तक मैं ने देखा है कि ऐडवाइजरी कमेटी की कितनी ही बातें यहां तोड़ी गयी हैं ।

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (भिंड) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन नम्बर 49 इस प्रकार है कि :

पृष्ठ 2 पर, धारा 2 के भाग (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"(1) कुलपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिये गठित प्रवरण समिति के द्वारा सिफारिश किये गए पांच नामों में से किसी एक की, कुलाध्यक्ष द्वारा की जायगी ।"

यह संशोधन इस दृष्टि से रखा है मूल पाठ में यह है कि नाम मांगा जाएगा यदि नाम पसन्द नहीं आयेंगा तो फिर दुबारा मांगा जायगा । इस तरह से कई बार नाम मांगे जा सकते हैं । तो मेरा कहना है कि एक ही बार पांच नाम मांग लीजिये और जो पसन्द हो उस को नियुक्त कर दीजिये ।

मेरा दूसरा संशोधन यह है—जहां पर नामजदगी की व्यवस्था रक्खी गई है कि :

"पृष्ठ 5 पर विधेयक की धारा 10 के भाग (च) की वर्तमान इबारत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(च) संसद् के तीन प्रतिनिधि, जिन में से दो लोक सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे और एक राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा ।"

मैं इस लिये यह कह रहा हूं क्योंकि मैं नामजदगी के मुकाबले सदस्यों का सदन से निर्वाचित होना ज्यादा अच्छा समझता हूं ।

13.11 hrs.

SHRI R. K. AMIN (Dhandhuka): I am only speaking on clause 2 for which I have given two amendments. One is related to the appointment of the Vice-Chancellor. I have made a provision that if the recommendations are not acceptable, a new Committee may be appointed. The second provision that I have made is, when any recommendation regarding the appointment of the Vice-Chancellor is made, that Committee must discuss the matter with ex-Vice Chancellor, the Academic Council, the Members of the Executive Council and the Chairman of the U.G.C. Then only the needs of the university could be understood because the needs of every university, according to its age and location, differ from university to university. If this is done, then probably you might find out a more appropriate Vice-Chancellor in the circumstances....

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsour): Are we not having a lunch break?

MR. SPEAKER: It is all in your hands. We will finish it before lunch. In another ten minutes or so, I want to finish the whole Bill.

SHRI R. K. AMIN: Then, Sir, the Vice-Chancellor has always been appointed by the Visitor. What happens is that the Visitor stays in Delhi and they only look roundabout Delhi and those who are in contact with Delhi are appointed. If a wider circle is contacted, if you accept my proposal in regard to having a discussion with various bodies, then

you will have a chance to find out a capable man as a Vice-Chancellor.

MR. SPEAKER: Now I put all the amendments to clause 2.....

श्री शिव चन्द्र झा : मुझे कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आप ने तो बहुत कुछ कह दिया है।

श्री शिवचन्द्र झा : बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी विधेयक के क्लाज 2 पर मुझ को बोलना है।

MR. SPEAKER: Then we adjourn for lunch. After that, you continue for the whole night. The whole House first approved 4 hours and you do not stand by that. We adjourn for lunch now.

13.13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at eighteen minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair*]

(BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*contd.*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): In view of the fact that we have only four hours left, may I suggest that, with the consent of the House, re-allocation of the time may be made? I suggest that this Bill, namely, the Banaras Hindu University (Amendment) Bill, may be finished in another half an hour after giving an opportunity to all the hon. members who want to talk briefly. The next item is about Bihar. The time allotted for this is four hours. I suggest that it may be brought down to two hours. Thereafter the discussion on floods, in which most of the hon. members are interested, may be taken up.

MR. CHAIRMAN: I hope, this suggestion is acceptable.

SOME HON. MEMBERS: Yes, yes.

MR. CHAIRMAN: We were on Clause 2.

श्री शिवचन्द्र झा : मेरी एमेंडमेंट है और मैं बोलना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Shall I make a proposal about clause-by-clause consideration? I understand that there are a large number of amendments to Clause 12. That seems to be a very important Clause, So, shall we concentrate on that Clause within the time that is at our disposal and pass over the other Clauses without much discussion?

SHRI BIBHUTI MISHRA: I have got my amendments, Nos. 78 and 79, on Clause 2....

MR. CHAIRMAN: I was trying to avoid a discussion on this.

SHRI BIBHUTI MISHRA: My amendments are as follows:—

Page 1, lines 12 and 13,—

for "a Selection Committee constituted by the Visitor for the purpose"

substitute—

"Central Education Minister" (78)

Page 1,—

omit lines 14 and 15. (79).

सभापति महोदय, क्यों मैं चाहता हूं कि सैंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर रख दिया जाए, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं विजिटर तो राष्ट्रपति होता है। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। उसकी जबाबदेही ऐसे कामों की नहीं होती है। ऐसा आदमी होना चाहिये जिस की जवाबदेही हो। लोक सभा एक इलैक्टिड बाड़ी है। जो मिनिस्टर है वह भी इलैक्टिड है। उसकी यहां जवाबदेही है। इस वास्ते

[श्री विभूति मिश्र]

मैं चाहता हूं कि उसको रख दिया जाए और वह इस में रहे।

दूसरी मेरी एमेंडमेंट यह है कि जो प्राविसो है, उसको हटा दिया जाए। अगर मेरी एमेंडमेंट मंजूर हो जाती है तो इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी।

अगर मेरी ये दोनों एमेंडमेंटस मान ली गई तो मंत्री महोदय को थोड़ी सी कठिनाई होगी। यह बिल राज्य सभा से पास हो कर आया है। अगर इन अमेंडमेंटस को मान लिया गया तो राज्य सभा में जाना पड़ेगा। इस वास्ते अगर वह मेरी इन एमेंडमेंट्स को नहीं भी मानते हैं तो उनको कोई न कोई दुरुस्तगी निकालनी होगी। आज तक विजिटर ने जिस तरह की कार्रवाई की उससे इस युनिवर्स्टी का काम ठीक से नहीं चला। मैं वार्न करना चाहता हूं कि अगर आप अब भी यह सारी व्यवस्था रखेंगे तो वहां शान्ति नहीं रह पाएगी, अशान्ति वहां बनी रहेगी। इस वास्ते आपको कोई दूसरी व्यवस्था करनी होगी।

श्री शिवचन्द्र झा : मेरी एमेंडमेंट नम्बर सात है। इस में मैंने कहा है कि तीन साल की जगह दो साल कर दिया जाए। सरकार पांच साल की जगह तीन साल कर रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको दो साल कर दिया जाए। मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में कहा है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तीन साल कहा है, इसलिए वह तीन साल यहां रख रहे हैं। लेकिन मैं, देख रहा हूं कि रिपोर्ट को आप टू दी लैटर फालो नहीं कर रहे हैं। इस में टैम्पल के बारे में भी सिफारिश की गई है और कहा है कि एटरेंस दूसरा होना चाहिये। उसके बारे में आप ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि थर्ड रीडिंग स्टेज पर आप कुछ कहें। मैं चाहता हूं कि जब वहां के हालात अच्छे हो जांय तो फिर आप तीन साल रखें या पांच साल रखें लेकिन अभी आप दो साल ही रखें।

आपने इस में वाइस चांसलर को रिएप्वाइंटमेंट के लिए एलीजिबल कर दिया है। आपने कहा है कि सैकिंड टर्म के लिए भी उसको रिएप्वाउइंट किया जा सकता है। यह चीज पहले नहीं थी। इस चीज को आप न करें। ऐसा करने से बांधलियां होती है। जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस में ऐसा करना ठीक नहीं होगा।

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): Regarding the point made by Shri Mahant Digvijai Nath, it is true that the university was under the administration of a nominated body for a long number of years. But I have already assured the House that this is not going to last for more than three years. I shall try my best to see that the legislation which will replace this present amendment will be brought in as quickly as possible. I am personally hoping that it will be brought in the winter of 1970-71. I am not giving an assurance on that, but I shall try my best to do it.

My hon. friend wanted to know about the qualifications of the vice-chancellor. I think it is very difficult to lay down a statement of qualifications. But I want to assure the House that the Visitor will be advised by a selection committee, and we shall see that a very strong selection committee is appointed, and I am sure that the selection committee will choose persons who will be worthy of the office of vice-chancellor.

A suggestion was made that the Education Minister should *ex-officio* become the Vice-Chancellor of the Banaras Hindu University. I think the Education Minister has got plenty of other things to attend to.

SOME HON. MEMBERS: No.

DR. V. K. R. V. RAO: I am glad that the House has said 'No'.

About the question of the registrar and the administration, the committee themselves have recommended that there should be a small group set up to review and streamline the entire administration of the Banaras Hindu University. This is one of the first things that I shall request the new vice-chancellor to do, as soon as he comes into office.

About the women's college principal to whom a reference was made, the House was told that the appointment had been made by a very high-powered selection committee and yet the regularity had been questioned. The fact of the case is that the appointment was made by a committee of the executive council; no doubt, eminent persons were on the committee of the executive council, but the statute requires that for all academic appointments there should be experts. The university held that the post of the principal of the women's college was not an academic appointment and it was just like that of a registrar or a librarian. I am afraid I could not accept that as an educationist. Legal opinion also did not accept it. Therefore, the appointment has been invalidated, and a new selection committee has to be appointed which will also consist of experts.

SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN (Rampur): Will the new vice-chancellor be in Banaras on 1st September, when the university reopens?

DR. V. K. R. V. RAO: Obviously not. How can he be there? The Bill is yet to be passed, and then it has to get the assent of the President and then a selection committee has to be appointed and the selection committee has to recommend the name.

For the time being, the Rector Dr. Hazari Prasad Dwivedy who had resigned has at my request; very kindly consented to continue in office till the new vice-chancellor comes and takes charge. He is now running the administration of the university.

SHRI BIBHUTI MISHRA: When will he be appointed?

DR. V. K. R. V. RAO: I hope as soon as the selection committee makes its recommendations he will be appointed. The selection committee will have a panel of three names. One hon. Member said that it should be five. I think the number three is all right. I do not think that there is much possibility of the name not being satisfactory; when we say that if the names are not satisfactory, they will be asked again, that is just a clause be way of abundant caution. I do not expect anything of that kind to happen. Hardly has it ever happened in the case of nominations of vice-chancellors. After the selection committee makes its recommendations, the Minister will recommend the name to the Visitor and the vice-chancellor will then be appointed. In any case, hon. Members must remember that Dr. Joshi's appointment as vice-chancellor technically does not expire at all till he has finished his leave. He has left the university but he has been given leave by the Visitor, which is due to him, and so, even if we appoint a new vice-chancellor tomorrow, he cannot go and take charge.

SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN: In the present circumstances, it is very important that somebody should be there.

Dr. V. K. R. V. RAO: But we cannot break the law.

SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN: Someone should be there who would be responsible.

DR. V. K. R. V. RAO: Dr. Dwivedy is there, and he is the Rector and he is carrying on till the new vice-chancellor is appointed.

There is no question of appointing a new committee, because I do not

[Dr. V. K. R. V. Rao]

expect that there is going to be any difficulty about accepting the recommendations of this committee.

Shri R. K. Amin suggested that the committee should discuss the names with ex-vice-chancellors, academic council members and so on. I think my hon. friend as a distinguished professor from another university should know that if the committee starts discussing the names of possible vice-chancellors with a large number of people, apart from productive results emerging, nobody would be prepared to commit himself to that kind of process.

SHRI R. K. AMIN: I was not talking about names, but only about discussions with them.

DR. V. K. R. V. RAO: My hon. friend Shri Bibhuti Mishra, for whom I have great respect, and who has spent his lifetime in national service, had raised the question of nomination. I have already said this morning that I am all with him. This nomination is only a temporary feature and it will be replaced by election.

Regarding replacing the Visitor by the Minister, it is not possible to do it by an Act. But I have already said in the other House that constitutionaly, the Education Minister has the constitutional responsibility of advising the Visitor on the discharge of his functions. So, what he has in mind will obviously come to pass.

Shri Shiva Chandra Jha said that the terms should be reduced to two years. I am going to try my best to see that this is over before the end of two years. But one has always to provide for contingencies and that is why a period of three years has been provided, because I do not want any chaotic situation to arise in case we are not able to do it due to some reason or the other. That is why we have kept it at three years.

श्री राम धन (लालगंज) : मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वाइसचांसलर की छुट्टी कब तक है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी को वाइसचांसलर स्वयं लाये थे। वाइसचांसलर ने जो काम किये हैं, अगर डा० द्विवेदी उन्हीं कामों को करते रहेंगे, तो विश्वविद्यालय में और भी गड़बड़ियां होंगी और असंतोष दूर नहीं होगा। क्या मंत्री महोदय विश्वविद्यालय के खुलने के बाद इस बारे में कोई कदम उठा रहे हैं या नहीं ?

DR. V. K. R. V. RAO: I would request the hon Member not to suggest that disturbances would be caused if Dr. Hazari Prasad Dwivedy continues. He has already resigned and his resignation is with me, but at my request he has agreed not to press his resignation but continue in office till a new vice-chancellor is appointed. My own impression is, and I have also been informed by many people that Dr. Hazari Prasad Dwivedy is a very good man; he may not be very strong man, but he is a person who has great eminence; he is a man of great eminence in literary circles he is a very kind-hearted person, and I think that we should allow him to continue and he is more than prepared to leave the moment the new vice-chancellor comes.

SHRI BIBHUTI MISHRA: I withdraw my amendments (78 and 79).

Amendments Nos. 78 and 79 were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I will put all the other amendments to the vote of the House.

Amendments Nos. 7, 43, 44, 45, 49, 86, and 87 were put and negatived.

Now, the question is:

"That clause 2 stand part of the Bill.".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to clauses 3 and 4.

The question is:

"That clauses 3 and 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 5—(*Substitution of new Section for Sections 9 and 9A*).

MR. CHAIRMAN: Amendments 70, 80, 88, 89 and 99 are treated as moved.

श्री क० मि० मधुकर : (केसरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 धारा 5 क्लाज (ख) के बाद एक और क्लाज (ग) इस प्रकार लिखा जाये, अर्थात् :

"ऐसे विषयों पर भी सलाह देना, जिस से मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एंव विद्यार्थियों में स्वस्थ राष्ट्रीयता, धर्म निरपेक्षता का स्वस्थ वातावरण तैयार हो कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में सुचारू रूप से एंव सुव्यवस्थित ढंग से संचालित एंव विकसित हो।" (70)

SHRI BIBHUTI MISHRA: I beg to move:

Page 2, line 10,—

for "an advisory" *substitute* "a" (80)

SHRI R. K. AMIN: I beg to move:

Page 2,—

for lines 10 and 11, *substitute*—

"9. The functions of the Court shall be—" (88)

Page 2,—

after line 19, *insert*—

"(d) to discuss any matter *suo moto* pertaining to the University with a view to reviewing the working of the University." (89).

SHRI BIBHUTI MISHRA: I beg to move:

Page 2, line 10,—

for "an advisory" *substitute*—

"a policy making" (99)

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि कोर्ट एक एडवाइज़री बाडी के स्थान पर एक पालिसी-मेकिंग बाडी हो। एक एडवाइज़री बाडी का काम सिर्फ सलाह देना है। इस समय उस यूनिवर्सिटी की जो हालत है, उसको दृष्टि में रखते हुए कोर्ट के हाथ में अधिक ताकत होनी चाहिए और वह भी हो सकता है, जब कि उस को एक पालिसी मेकिंग बाडी बना दिया जाये। मंत्री महोदय को मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए।

SHRI R. K. AMIN: In the University it is an accepted principle that there should not be any body which is a supreme body in the University. The various powers are divided between various bodies. There are certain matters in which the Academic Council is supreme. There are certain matters in which the Executive Council is supreme. That is how the academic freedom and autonomy of the University is being respected. Here in the earlier Act when it is mentioned that the supreme body is the Court, it was wrong. When you say that it is an advisory body, it is also wrong. Since this is a temporary measure, I do not mind, but in the permanent Act, the Court should not be made an advisory body. For example, statutes are passed by the Court and ordinances are passed by the Executive Council. That sort of division of labour, division of powers ought to be there and I hope the hon. Minister will keep in mind this principle when he brings forward the comprehensive Bill.

DR. V. K. R. V. RAO: I want to point out that as far as the comprehensive Bill is concerned, definitely what was said by Prof. Amin will be borne in mind. There will be a proper division of powers between the various authorities of the University. This, Sir, is only a temporary measure which is based exactly on the lines of the measure under which the Aligarh University is governed. I would suggest that from the point of expeditious work as well as quick implementation of things, it is better to concentrate on the Executive Council and let the court function as an Advisory Body.

SHRI BIBHUTI MISHRA: If it is a temporary measure, I am withdrawing my amendment

श्री क० मि० मधुकर (केसरिया) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के इस कथन से सहमत हूं कि यह बिल एक टेम्पोरेरी मेज़र है। मैं अपने संशोधन संख्या 70 द्वारा यह चाहता हूं कि धारा 5 की उपधारा (ख) के बाद एक उपधारा (ग) जोड़ दी जाय, जिस के अनुसार कोर्ट द्वारा विज़िटर को उस विश्वविद्यालय में एक स्वस्थ राष्ट्रीयता और धर्म-निरपेक्षता का वातावरण बनाने की दृष्टि से उचित पग उठाने के बारे में परामर्श दिया जाय। डा० गजेन्द्रगडकर की रिपोर्ट और माननीय सदस्यों के भाषणों से यह बात साफ़ हो गई है कि बनारस विश्वविद्यालय ने अपना राष्ट्रीय चरित्र गवां दिया है और वह आर० एस० एस० का अड्डा बन गया है, जिस के कारण वहां पर तमाम गड़बड़ियां, हत्यायें और जुल्म आदि हुए हैं।

इसलिए हम यह चाहते हैं कि चूंकि यह एडवाइजरी बाडी होगी तो उस के नाम के अन्दर यह चीज होनी चाहिए ताकि विश्वविद्यालय में ऐसा वातावरण पैदा हो, जिस से स्वस्थ राष्ट्रीयता और धर्म-निरपेक्षता का विकास हो क्यों कि अगर राष्ट्रीयता का वातावरण वहां न हो तो देश के दूसरे हिस्से के विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए नहीं जा सकेंगे और धर्म-निरपेक्षता न होने पर दूसरे सम्प्रदायों के लोग वहां पर पढ़ने के लिए नहीं जा सकेंगे। आज जैसा कि कहा गया है केवल बिहार और यू.पी. के कुछ हिस्से के लोग ही वहां पढ़ने जाते हैं और दक्षिण भारत के लोग या और दूसरे हिस्सों के लोग, दूसरे सम्प्रदायों के लोग वहां नहीं जा रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाय और इस का स्वरूप ऐसा बनाया जाय जिस में राष्ट्रीयता और धर्म-निरपेक्षता के वातावरण का विकास हो और ऐसे तमाम तत्वों का उन्मूलन हो जो अराष्ट्रीय तत्त्व हैं या जो देश में साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्व हैं। आर० एस० एस० जैसी संस्थाओं का उसके अन्दर कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

DR. V. K. R. V. RAO: I don't know what exactly is the proposition which the hon. Member has in mind. All that he has in mind will be achieved even more effectively by having power in the hands of the Executive Council which is a much smaller body. I would like to say, Sir, that I agree with him that secularism has got to be a basic objective of all universities in this country, secularism not in the sense of anti-religion, but respect for all the religions as different ways of reaching the God as unity and so on. Sir, a suggestion was made that Banaras Hindu University is becoming a university of Eastern UP and Bihar. I also had that impression to some extent; that is true as far as arts, humanities and social sciences are concerned. But this morning I had a whole one hour discussion with the Deans of the various faculties in the Banaras Hindu University and I was gratified to know that in the College of Oriental Studies vast majority of students come from other than UP and Bihar. In regard to botany also vast majority of students come from other parts of the country. I felt

extremely happy about it. And, I thought, I should say it to the House, that Banaras Hindu University is trying to build up an all-India character.

SHRI BIBHUTI MISHRA: Sir, I wish to withdraw my amendments.

Amendments Nos. 80 and 99 were, by leave, withdrawn

MR. CHAIRMAN: I shall put the other amendments to vote.

Amendments Nos. 70, 88 & 89 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That Clause 5 stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 to 8 were added to the Bill.

Clause 9—(*Amendment of Section 17*)

MR. CHAIRMAN: We go to *Clause* 9. There are some amendments.

SHRI BIBHUTI MISHRA: I beg to move:

Page 2, line 37,

add at the end—

"provided Union Government is agreeable." (81)

SHRI R. K. AMIN: I beg to move:

Page 2, line 35,—

for "Executive Council" *substitute* "Court" (90)

Page 2, line 36,—

after "Statutes" *insert* "on the recommendations of the Executive Council" (91)

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, इस में यह है कि :

The Executive Council may from time to time make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes.

इस में मेरा अमेंडमेंट, 81 यह है :

add at the end—"provided Union Government is agreeable."

ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी का जितना झगड़ा आज तक हुआ वह वहीं से होता है, यूनियम गव मेंट को कोई जानकारी उस में नहीं रहती है। अब मैंने इस में यह रखा है कि जब स्टेट्यूट में कोई गड़बड़ करेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट को सूचना देनी होगी। जब यूनियन गवर्नमेंट उस के लिए राजी हो तब वह काम चालू हो। इस तरह मैं चाहता हूं कि यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार रहे तब झगड़ा नहीं होगा।

DR. V. K. R. V. RAO: It is not possible for me to accept the hon. Member's contention. University autonomy requires that the statutes originate from the executive council. It is always open to the Visitor, or the Government acting through Visitor, to modify or reject if they don't approve of anything. Once these nominated bodies come into existence their autonomy and freedom will be exactly similar as if they had been elected. There will be no question of any further control on them.

MR. CHAIRMAN: I hope, Shri Bibhuti Mishra is withdrawing his amendment.

SHRI BIBHUTI MISHRA: Yes.

MR. CHAIRMAN: Has he the leave of the House to withdraw his amendment?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

Amendment No. 81 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the other amendments to the vote.

Amendments Nos 90 and 91 were put and negatived

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 9 stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clauses 9 was added to the Bill

Clause 10— (*Amendment of section 18*)

SHRI R. K. AMIN: I beg to move:

Page 3,—*after* line 15, *insert*—

"(8) More than twenty-five per cent of the members of the Court, or more than one-third of the members of the Academic Council may request the Vice-Chancellor to suspend the operation of the Ordinance till the matter is fully considered by the Visitor with remarks made by these members asking for suspension of the said Ordinance". (92)

MR. CHAIRMAN: I shall now put this amendment to the vote of the House.

Amendment No. 92 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 12— (*Amendment of statutes*)

MR. CHAIRMAN: There is a large number of amendments to this clause.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: I beg to move:

Page 3, line 24,—

for "eligible" *substitute* "ineligible" (8)

Page 3,—

omit lines 25 to 27 (9)

Page 4, line 10,—

for "three" *substitute* "five" (10)

Page 4, line 10,—

for "two" *substitute* "three" (11)

Page 4, line 12,—

for "one" *substitute* "two" (12)

Page 4, line 14,—

for "thirty" *substitute* "fifteen" (13)

Page 4, line 20,—

for "three years" *substitute* "two years" (14)

Page 4, line 26,—

for "eight" *substitute* "six" (15)

Page 4, line 27,—

for "Five" *substitute* "Four" (16)

Page 4, line 30,—

for "three years" *substitute* "two years" (17)

Page 4, line 41,—

after "scholarships" *insert*—

"free-studentship" (18)

Page 5, line 27,—

after "purposes" *insert*—

"like students' participation in politics (19)

Page 5,—

after line 39, *insert*—

"(v) five Members of Parliament as included in the Court in Statute 10(1) (f)." (20)

Page 5, line 40,—

for "Four members of the Finance Committee" *substitute*—

"Seven members of which two must be Members of Parliament". (21)

SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH: I beg to move:

Page **3**,—

for lines 22 to 27, *substitute*—

(3) The Rector shall be elected by students and shall hold office for three years.

(3A) It shall be the function of the Rector to watch the interests of the students in the University.

(3B) The mode of election of the Rector shall be provided by the Ordinances." (46)

Page 4, line 26,—

for "Visitor" *substitute*—

"Education Minister" (48)

श्री यशवन्त सिंह कशवाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ 5 पर विधेयक की धारा 10 के भाग (च) की वर्तमान इबारत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(च) संसद के तीन प्रतिनिधि, जिन में से दो लोक सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे और एक राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा।" (50)

Page 3,—

for lines 22 to 27, *substitute*—

"(3) The Rector shall be elected by students and mode of election of the Rector shall be provided by the Ordinances.

(3A) The Rector shall hold office for three years." (58)

Page 4,—

Omit lines 10 to 13 (59)

Page 4, *after* line 17, *insert*—

"Provided that no person connected actively with any political party in the country be nominated." (60)

Page 4, line 26,—

add at the end—

"who shall not be members of any political party in the country". (61)

Page 5,—

after line 15, *insert*—

"(xixa) to ensure that no University fund is spent on any religious function in the University;" (62)

Page 5, line 35,—

add at the end—

"from amongst the renowned economists in the country". (63)

श्री क० मि० मधुकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4 धारा 12

उपधारा (3)—विधेयक में लिखित वाक्य के स्थान पर इस प्रकार लिखा जाय अर्थात् :—

कुलाधि सचिव विद्यार्थी समाज से निर्वाचित किये जायें जिन के निर्वाचन की विधि कुलाध्यक्ष द्वारा अध्यादेश या अन्य नियमों से निर्धारित की जायगी। (71)

पृष्ठ 5 उपधारा (ग) "तीन" शब्द के स्थान पर "पांच" जोड़ा जाय।

पृष्ठ 5 उपधारा (ङ) — शब्द "दो" को लोप कर शब्द "तीन" जोड़ा जाय। (72)

पृष्ठ 5 उपधारा (6) में

"जो सार्वजनिक जीवन में स्थान रखने वाले व्यक्ति हों या" इतना लोप कर दिया जाय। (73)

[श्री क० मि० मधुकर]

धारा 14 उपधारा (ख)— "आठ" शब्द की जगह "पांच" शब्द जोड़ा जाय। (74)

पृष्ठ 6 परिनियम 18 में.

(xxiii) के बाद एक नया परिनियम यु जोड़ा जाय

(xxiv) छात्रों एव अध्यापकों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करने की परिस्थिति उत्पन्न करना तथा ऐसे सारे कार्य करना कि मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में सम्प्रदायवाद की शक्तियों एव विघटनकारी प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद किया जा सके। (75)

पृष्ठ 7 परिनियम 21 खण्ड . . . अर्थात (iv) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" लिखा जाय। (76)

SHRI BIBHUTI MISHRA: I beg to move:

Page 4, line 10,—
for "three" *substitute* "six" (82)

Page 4, line 10,—
for "two" *substitute* "four" (83)

Page 4,—

line 17, *add* at the end—

"Provided they are specialists in Indian philosophy and world culture". (85)

Page 4, lines 3 and 4,—

for "nominated by the Visitor" *substitute*—

"by rotation". (100)

Page 4, lines 6 and 7—

For "nominated by the Visitor" *substitute*—
"by rotation" (101)

Page 4,—

for lines 8 and 9, *substitute*—

"(e) ten persons from among the teachers of the University, other than Professors, elected by them." (102)

Page 4, line 14,—

for "nominated by the Visitor" *substitute*—

"elected by the registered graduates" (103)

Page 4, line 26,—

for "nominated by the Visitor" *substitute*—

"elected by the Court from among its members" (104)

Page 5, line 35,—

for "nominated by the Visitor" *substitute*—

"elected by the Court from among its members" (105)

SHRI R. K. AMIN: I beg to move:

Page 4, line 20,—

for "for a term of three years" *substitute*—

"till the new Act comes into operation or three years whichever is earlier" (93)

Page 4,—

after line 25, *insert*—

"(aa) the Rector, if any." (94)

Page 4, line 26,—

add at the end—

"of which at least two shall be from the academic staff of the University" (95)

Page 4,—

for line 30, *substitute*—

"till the new Act comes into operation." (96)

Page 5, line 35,—

add at the end—

"of whom at least one is not connected with the University" (97)

Page 5, line 39,—

add at the end—

"from among its members" (98)

श्री शिवचन्द्र झा : सभापति जी, मेरे 12वें क्लाज पर 14 संशोधन हैं । मैं सिर्फ उन को कहता हूं,मंत्री महोदय उसी से समझ जाएंगें ।

पहला जो है वह रेक्टर को जहां रीअप्वाइंटमेंट के लिए एलिजिबिल कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि ऐसा न करें, उस से बड़ी धांधली होगी । इतना ही नहीं वह कहते हैं कि वह तब तक रहेगा जब तक दूसरा बहाल नहीं किया जायगा तो यह और बड़ा फाटक खुल जायगा धांधलियों के लिए । इसलिए यह डिलीट कर दिया जाय ।

इसके बाद पेज 4 पर पंक्ति 10 में तीन की जगह में पांच रखना चाहता हूं । पांच संसद् सदस्य उस में बहाल किए जाएं जिस में तीन लोक सभा के हों और दो राज्य सभा के हों ।

फिर जहां कहते हैं कि विजिटर 30 आदमियों को नामिनेट करेगा वहां 30 ठीक नहीं होगा उस की जगह पर पन्द्रह रखें । 40 परसेंट जहां नामिनेटेड की बात है वह 40 परसेंट बहुत ज्यादा है । उस से कोर्ट राजनीति का अड्डा बन जायगी ।

इस के बाद जहां यह कहा है पंक्ति 20 में शैल होल्ड आफिस फार ए टर्म आफ 3 ईयर्स वहां 3 की जगह 2 साल में चाहता हूं ।

पंक्ति 26 में, आप देखें जहां लिखा है 8 परसन्स नामिनेटेड बाई दि विजिटर, उस में मैं चाहूंगा कि 6 आदमी विजिटर द्वारा बहाल किए जाएं ।

फिर जहां यह दिया है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल के 5 मेंम्बरों का कोरम होगा उस में 8 की जगह 6 को विजिटर बहाल करेंगे तो कोरम 5 की जगह 4 का रखना पड़ेगा ।

इसके बाद जहां दिया है मेम्बर्स आफ दि एग्जीक्यूटिव कौंसिल शैल होल्ड आफिस फार ए टर्म आफ थ्री ईयर्स, यहां पर मैं कहूंगा कि 3 साल के लिये न रखें, 5 साल के लिए रखें क्योंकि एग्जीक्यूटिव कौंसिल मेन फंक्शनिंग बाड़ी है । उस को तीन साल के लिए नहीं पांच साल के लिए रखना ठीक होगा ।

और एक संशोधन है पेज 4 के आखीर में पंक्ति 41 में स्कालरशिप के बाद फ्री स्टूडेंटशिप बढ़ा दिया जाय क्यों कि उस में अधिकतर गरीब विद्यार्थी भी पढ़ते हैं तो उन के लिए फ्री स्टूडेंटशिप रहने से उस का फायदा उन्हें मिलेगा ।

एक दूसरा अमेंडमेंट मेरा है पांचवें पेज पर पंक्ति 27 में जहां स्पेसिफिक परपजेज दिया हुआ है, वहां पर स्पेसिफिक परपजेज के बाद मैं चाहूंगा कि" like students partipation in polition करदें । यहां पर कहा गया है कि ऐसा करने से राजनीतिक झगड़ पैदा हो जायेंगे, जैसे कि पहले तो बिलकुल दूध के धोए हुए थ, और अब इन राजनीतिक लोगों ने सब झगड़े और खराबियां वहां पर ला दी हैं । विद्यार्थियों ने राजनीति में हिस्सा आज से नहीं लिया है, आजादी की लड़ाई के दौरान भी विद्यार्थियों ने राजनीति में हिस्सा लिया था । बल्कि आजादी के बाद से यह प्रनत्ति चली है कि विद्यार्थी राजनीति में हिस्सा न लें । मैं इस की पुर जोर मुखालफत करता हूं । राजनीति हमारे पार्लियामेंन्ट्री सिस्टम, हमारे समाज की जिन्दगी है, किसी भी हालात में हमारे नौजवान राजनीति से अलग नहीं रह सकते हैं । आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो राजनीति चलाई, वह जातीयता की राजनीति थी, गुटबन्दी की राजनीति थी, स्वार्थ की राजनीति थी, इस से उन को अलग रखना होगा, लेकिन देश और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्यार्थी हिस्सा लेंगे और खूब हिस्सा लेंगे, चुनावों में हिस्सा लेंगें । ये विद्यार्थी इण्डोलोजी और राजनीतिक पार्टियों के आदर्शों को जनता को जाकर समझायेंगे और कहेंगे कि तुम इस के लिय वोट दो । इस लिये इन का इस में रहना लाजमी होगा ।

[श्री शिवचन्द्र झा]

इस से अगला मेरा संशोधन है कि पृष्ठ 5 पर लाइन 39 के पश्चात् निम्न सब-क्लाज जोड़ी जाय—

"(v) five Members of Parliament as included in the Court in Statute 10(1)(f)."

मैं चाहता हूं कि फाइनेन्स कमेटी में पांच संसद सदस्यों को भी शामिल किया जाय ताकि ये लोग उस के खर्चे आदि की देखभाल करें ।

मेरा आखरी संशोधन है कि फाइनेन्स कमेटी का कोरम चार के बजाय सात सदस्यों का हो जिनमें से दो संसद सदस्य हों ।

मैं चाहूंगा कि सदन मेरे संशोधनों पर गौर करे तथा इन को स्वीकार करे ।

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : सभापति जी, मेरे 6 संशोधन हैं । उन सब की मंशा यह है कि विश्वविद्यालय का वातावरण शुद्ध होना चाहियें तथा मेरे संशोधन इसी दिशा में संकेत करत हैं कि वहां जातीयता मिटानी है, फेक्शनल पौलिटिक्स को हटाना है । सभापति जी, मैं वहां का स्टूडेन्ट रहा हूं— 1930 से 1938 तक । उस समय यूनीवर्सिटी का जो वातावरण —1932 के आन्दोलन में 1200 लड़के हिन्दुस्तान की विभिन्न जेलों में गये और आन्दोलन में भाग लिया । हर तरह का कन्ट्रीब्यूशन वहां के विद्यार्थियों ने नेशनल मूवमन्ट में दिया । उस समय एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से उस की जाति नहीं पूछता था, लेकिन आज वह सब बरबाद कर दिया गया है। किसी भी तरह का पोलिटीकल अरेन्जमेन्ट इसमें न हो, लोकल इन्फ्लूएन्स के लोगों को इस में नहीं लिया जाना चाहिय । मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं जानता हूं कि वहां की कान्सि में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कान्सि के अच्छे ओहदों पर बैठकर गबन किया, यूनीवर्सिटी के पैसे रुपये को आन्दोलन चला कर बरबाद किया है ।

इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन आप के सामने रखता हूं ।

SHRI R. K. AMIN: I have tabled some amendments. One is about the composition of the Executive Council. I have said that of the eight persons nominated by the visitor, at least two shall be from the employees of the University's academic staff, professors or others. If there is this provision in the Act, the Visitor shall have to implement it while nominating the Executive Council.

This clause says:

"The Finance Committee shall consist of the following members, namely:—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) three persons nominated by the Visitor;

(iii) two persons, who are not employees of the University, appointed by the Executive Council."

Here I want to add "from among its members". It is necessary that the members of the Executive Council should take part in the deliberations of the Finance Committee, so that when a matter goes from the Finance Committee to the Executive Council, there should be somebody to explain the entire thing to them, how it has happened, etc. In most of the universities it is so. There is no reason why it should not be so here also. That is what my amendment seeks to do.

श्री विभूति मिश्र : सभापति जी, मेरे तीन तरह के अमेण्डमेन्टस हैं । एक तो यह है कि नौमिनेशन का सिस्टम हटा दना चाहिए, लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि यह बिल टम्परेरी है, इस लिय मैं समझता हूं कि आगे चलकर नौमिनशन को हटा कर इलैक्शन कर दिया जायगा ।

दूसरा संशोधन हम लोगों के इन्टरेस्ट में है कि राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों की तादाद इस में बढ़ा देनी चाहिये---तीन की जगह 6 कर देनी चाहिये, 4 यहां से लिये जायें और दो वहां से लिये जाऐं, तब ही न्याय होगा ।

मेरा तीसरा संशोधन यह है कि जहां विजिटर द्वारा 30 आदमियों के नौमिनेशन की व्यवस्था है, वहां निम्नलिखित प्रोवीजन कर दिया जाय---

"Provided they are specialists in Indian philosophy and world culture"

इस के मायने, चेयरमैन साहब, यह हैं कि किसी जमाने में जब मैं वहां विद्यापीठ में पढ़ता था तो वहां एक प्रोफेसर थे---शेशादरी साहब । वे अंग्रेजी के बड़े विद्वान थे, जब भी कोई हिन्दुस्तानी विद्यार्थी उन से मिलने जाय तो ऐसा मालूम पड़ता था कि काट खायेंगे । उन के मन में हिन्दुस्तानी लोगों के प्रति कुछ घृणा थी । लेकिन अब तो हिन्दुस्तान में अंग्रेजी जानने वाले बुक-शेल्फ में रह गये हैं, अंग्रेज भी चले गये हैं, जब अंग्रेजी के प्रचारक ही इस देश से भाग गये, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे आदमियों को रखा जाय जो इण्डियन फिलौस्फी को जानते हों, जो दुनिया के कल्चर को जानें । जब हम ऐसे आदमियों को वहां पर रखेंगे, तब ही मालवीय जी की आत्मा को शान्ति मिलेगी । ऐसे आदमियों को बहाल न करें जिनको हिन्दुस्तान की शिक्षा से, हिन्दुस्तानियों से नफरत हो । मैंने शेशादरी जी का उदाहरण आपको दिया, वह हिन्दुस्तानियों की कद्र नहीं करते थे, लेकिन जब गांधी जी हिन्दू यूनिवर्सिटी में आए, तब गांधी जी का स्वागत हुआ । मालवीय जी हर एक एकादशी को भागवत पुराण पढ़ कर सुनाते थे, सभी विद्यार्थी सनते थे और उसी में हिन्दुस्तान की आजादी पर लैक्चर देते थे । इस लिये मैं चाहूंगा कि ऐसे आदमियों को बहाल करें जो भारतीय फिलौसफी को जानते हों और दुनियां के कल्चर को जानने हों ।

श्री क०मि० नघुकर : सभापति महोदय, मैं अपने संशोधनों से सरकार की मदद कर रहा हूं । पिछले साल वाइस-चांस्लरों का जो सम्मेलन हुआ था उस में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा के मामले में भाग लेने के सुझाव दिये गये थे, उसी विचारधारा के अन्तर्गत मैंने अपने संशोधनों को रखा है । उसी दृष्टि से मैं चाहता हूं कि कुलाधि सचिव का चुनाव यदि विद्यार्थियों के द्वारा होगा तो इस से उन के अन्दर विश्वास पैदा होगा ।

मेरा दूसरा संशोधन---जैसा विभूति मिश्र जी ने कहा---जब हम संसद सदस्यों के नाम इस में दे रहे हैं तो तीन की जगह 5 कर दिया जाय, यहां से तीन लिये जांय और और राज्य सभा से दो लिये जायें ।

तीसरे संशोधन में मैंने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में स्थान रखने वाले व्यक्तियों को इस में न लिया जाय । शिक्षा विशेषज्ञों को लिया जाय, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि सार्वजनिक जीवन के व्यक्तियों को इस में लेना शुरू किया तो फिर पोलिटीक पार्टीज इस में आने लगेंगी । कोई कहेगा कि उस पार्टी का हो और कोई कहेगा कि उस पार्टी का हो । इसलिये मैं चाहूंगा कि जो शिक्षा विशेषज्ञ हों उन्हीं को रखा जाये । ऐसे लोगों को न रखा जाये जोकि राजनीतिक हों या कोई दूसरा कार्य करने वाले हों ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने अमेन्डमेन्ट्स पेश करता हूं ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मेरा पहला अमेन्डमेन्ट यह है कि पेज 1 पर लाइन 11–13 के स्थान पर निम्नलिखित सब्स्टीट्यूट कर दिया जाये :

"(1) The Minister of Education shall be the *ex-officio* Vice-Chan-

[श्री महन्त दिग्विजय नाथ]

cellor with the right to delegate his powers to whomsoever he likes."

यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अन्त में एजुकेशन मिनिस्ट्री ही है जोकि रेकमेंड करके भेजेगी चाहे वह रेक्टर हो, वाइस-चांस्लर हो, कोर्ट का मेम्बर हो या एग्जीक्यूटिव का मेम्बर हो। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए यह भी एक्सपेरिमेन्ट करना चाहिये कि हमारे शिक्षा मन्त्री जी एक्स-आफिसियो वाइस-चांस्लर होकर रहे, मैं समझता हूं इससे वहां पर सुधार होगा और ठीक तरह से काम चल सकेगा।

मेरा दूसरा अमेंडमेन्ट यह है कि लाइन 22–27 के स्थान पर निम्नलिखित सब्ससटीट्यूट कर दिया जाय :

"(3) The Rector shall be elected by students and shall hold office for three years.

(3A) It shall be the function of the Rector to watch the interest of the students in the University.

(3B) The mode of election of the Rector shall be provided by the Ordinances."

मैंने एक किताब "इंडियन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन" देखी जोकि सन् 1958 में एजूकेशन मिनिस्ट्री से निकली थी। उसके पेज 12 या 13 पर लिखा है कि रेक्टर का एलेक्शन मैट्रीकुलेशन के स्टूडेन्टस तीन वर्ष के लिए करें। रेक्टर की पोस्ट आयरलैंड और स्काटलैंड में बड़ी हाई समझी जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि रेक्टर को अगर वही चुनेंगे तो ठीक प्रकार से संचालन हो सकेगा।

मेरा तीसरा अमेंडमेंन्ट यह है कि लाइन 26 में विजिटर की जगह पर एजूकेशन मिनिस्टर को सब्स्टीट्यूट किया जाये। अगर आप यह कर देते हैं तो इस बिल की मंशा पूरी हो जायेगी और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चल सकेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप देखें कि इन पगों को उठाने से कितनी कामियाबी मिलती है।

SHRI C. K. BHATTACHARYA (Raiganj): Mr. Chairman, this is the third Enquiry Report that has come to us within a short time about this University. I believe that the present difficulties of the unfortunate University flow from a decision taken at Delhi. I call that decision an injudicious decision, and that decision taken at Delhi was for the removal of Dr. Sen from the Vice-Chancellorship of the University. When Dr. Sen was put there as Vice-Chancellor, the University was in a state of turmoil. In that state of turmoil, Dr. Sen went there as Vice-Chancellor and by his handling of the situation he brought peace and order in the University. But before he could complete his work, before he could consolidate the atmosphere of peace and order that he has brought about in the University, he was suddenly shifted from the University and brought over to Delhi. That is the real cause of the present trouble. If Dr. Sen had remained there, I believe he could have brought the University to complete peace and allowed an atmosphere to grow in which the University would have found itself working in complete peace and order.

15 hrs.

Regarding the inquiry committee, I admire the educational experts, but I take my hat off to them when I see the quickness with which they change their opinion. The powers of the court are being changed again today. At the time when Shri M. C. Chagla was the Education Minister, a Bill was brought and the character of the court was changed. At that time, the court had no power and the inquiry committee reported that the troubles of the university originated from the fact that the court had no actual power. So, Shri M. C. Chagla amend-

ed the provision and gave pwores to the court. Today, another Education Minister has come, and supported by the inquiry committee report of another distinguished vice-chancellor holding that the troubles of the university originated from the fact that the court had powers, is seeking to take away the powers from the court. Between these two different opinions of the educational experts, I find myself completely confounded as to whom we should follow and how we are to be guided.

Regarding elections, the Radhakrishna Commission on universities had made the specific recommendation that the element of elections should be removed from the universities as far as possible. Their recommendation was that in place of elections, the principle of rotation should be accepted. I believe that that recommendation of the Radhakrishnan Commission was not experimented upon in the different universities, so that we are finding ourselves now in a contraversy as to whether elections should be there or nominations should be there. The principle recommended by the University Education Commission might have been a substitute to work upon and helped the universities. In fact, another inquiry Committee headed by Shri G. C. Banerjee, the Rajasthan University Vice-chancellor also made that recommendation. They went even to the length of saying that the students' union election in the universities should also be removed. Their opinion was that the conflict and the controversy that came about in the students' union elections led to troubles in the university and disturbed the peace in the university. That was the recommendation of the Banerjee Committee. I do not know whether when the complete Bill comes, those recommendations will be given any consideration.

In conclusion, I would like to make a brief reference to the name of the university. If you go and see the foundation-stone of the university you will find the name "Kashi Vishwavidyalaya" discribed on it. That was the name given to the university At the time when Shri M. C. Chagla by Pandit Madan Mohan Malaviya. In fact, when Dr. Ram Manohar Lohia was there, he repeatedly suggested that the name given to the university by its founder and what was inscribed on the foundation-stone should be accepted. But somehow when the original Bill came to be passed by the then legislative Assembly and fell into the hands of the Education Members of those times, they brought in the name that might suit the British administration which was prevailing at that time. We may accept the name as given in the foundation-stone, and I wish that the Education Minister accepts my suggestion and restores to the university the name inscribed in the foundation stone by the founder himself.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): We all agree to it.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA: Since I was referring to the founder, I shall say that he was one of the greatest men in India, a man from whose lips even one little harsh word would not escape, a man who from the nail of his toe to the tip of his hair was a picture of humility, was a picture of screne peacefulness. It is most unfortunate that an institution bearing his memory and which had been his handiwork all through, because the Government of India had given no money and it was he who had collected Rs. 1 crore and founded it'—a unique achievement for one individual in any country in the world, —should come to this pass. I only hope and pray that his blessings might come over the university and give it peace.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद): मान्यवर, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में देश भक्ति के आधार पर अगर किसी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गयी तो वह था काशी का विश्वविद्यालय जो महामना मदन मोहन मालवीय

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

जी ने स्थापित किया । परन्तु आज उस की दशा जो खराब है उस के कारणों को ढूंढने का प्रयत्न किया जा रहा है, पर मैं एक ही वाक्य में कहना चाहता हूं कि आज की तमाम गड़बड़ी का कारण पोलिटिकल पार्टीज हैं । अगर आप उन्हें समझा सकें, नियंत्रण में कर सकें तो काशी विश्वविद्यालय में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी ।

अभी मेरे बंधुओं ने इधर उधर की बातें कहीं है, जैसे आर० एस० एस० की बात कही । मैं उन से कहना चाहता हूं कि आर० एस० एस० 1934 से वहां पर काम कर रहा है। उस दिन से आज तक साम्प्रदायिक गतिविधि की कोई बात सामने नहीं आयी, कोई झगड़े की बात सामने नहीं आयी। इस वक्त भी जो चार्ज लगाया गया है मैं कहना चाहता हूं कि इस दोषारूपण के सम्बन्ध में गजेन्द्रगडकर कमीशन की सम्मति इस प्रकार है :—

"An attempt was made to malign the vice-chancellor alleging that he is associated with the RSS and Jan Sangh, in order to tarnish his image of intellectual integrity and his reputation as an impartial administrator; this allegation apparently has been made for the reason that the vice-chancellor has after all shown some courage in expelling the most notorious students, some of whom also happen to belong to certain political parties.

यह है मूल कारण कि वहां पोलिटिकल पार्टिज ने आदमी भेजे हैं जो वहां बारबार फेल हो रहे हैं और उन का लक्ष्य पोलिटिकल है । मैं किसी विशेष पार्टी के लिये नहीं कहता, लेकिन जो स्थिति है वह स्पष्ट है । आप कम्युनल ऐक्टिविटी की बात कहते हैं मैं आप को बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को वहां आमंत्रित किया गया तो पोलिटिकल पार्टीज के कुछ लोगों ने कहा कि उन को रोकिये वरना 'otherwise they would not hesitate from making an attempt on her life.' मैं पूछना चाहता हूं कि देश का प्रधान मंत्री चाहे किसी पार्टी का हो वह सब के लिये सम्मान का तद है और सब को उसका आदर करना चाहिये । एक शिक्षा संस्था में इस देश का प्रधान मंत्री जा रहा है और उस के लिये इस प्रकार के शब्द कहे जायें कि हम उन के जीवन पर हमला करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कितने किया आर० एस० एस० वालों ने किया ?

कुछ माननीय सदस्य : गांधी जी की हत्या किसने की ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : गांधी जी की हत्या हो या और किसी की हत्या हो वह अनुचित है और दोषी को सजा मिलनी चाहिये, ओर मिली भी ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं अपेक्षा करता हूं कि कांग्रेस के काफी सीनियर सदस्य बैठे हुए हैं, उन्हें पता होना चाहिये कि गांधी जी की हत्या से संबंधित ट्राब्यूनल ने फैसला किया और जो हत्यारा थे उन को सजा दी गयी । उस के बाद इस प्रकार की कोई बात करता है तो मैं समझता हूं कि मोस्ट इरेस्पांसिबिल व्यक्ति है । कोई समझदार व्यक्ति इस प्रकार की बेकूफी की बात करेगा इस की मैं अपेक्षा नहीं करता ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : बात साफ है कि चाहे गांधी जी का हत्यारा हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुकर्जी का हत्यारा हो और चाहे दीन दयाल उपाध्याय का हत्यारा हो, मैं समझता हूं कि ईमानदारी इस बात में है कि हत्यारा हत्यारा है चाहे किसी पार्टी का हो, ओर उस को कंडेम करना होगा । और अगर आप यहां

पार्टीबाजी में आ कर केवल कुछ हत्यारों का समर्थन करें, कुछ विरोध करें यह देश के हित में नहीं है। देश का हित ध्यान में रख कर आप को यूनिवर्सिटी की समस्यायों का समाधान करने पर विचार करना चाहिये।

वहां यूनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ की गयी, हिंसात्मक कार्यवाही की गयी। कारण क्या है? कुछ लोग जिन में आर० एस० एस० के लोग थे, युनिवर्सिटी में हड़ताल होने देने के पक्ष में नहीं थे। कुछ लोगों ने मोनोपली बना ली है कि यूनिवर्सिटी में जब चाहें हड़ताल करा दें गुंडा गर्दी करा दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज कई यूनिवार्सिटीज में ऐसा ग्रुप देशभक्तों का पैदा हो गया है जो गुंडा गर्दी और हड़ताल नहीं करने देता। यही मूल कारण है तमाम आक्षेप का। अन्यथा कोई आक्षेप नहीं है। (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: I request that we confine ourselves to the affairs of the Banaras Hindu University as far as possible. I may like to remind the speaker as well as the House that we are encroaching upon the time allotted for the Bihar discussion.

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr): It is an important Bill.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): Communalism is the most poisonous thing in India.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : कम्युनलिजम, साम्प्रदायिकता, चाहे जाति के नाम पर चाहे धर्म भाषा के नाम पर हो किसी भी अर्थ में हो चाहे चाइना के नाम पर हो रशिया के नाम पर हो, इस को कुचला जाना चाहिये। लेकिन साम्प्रदायिकता की आड़ में चाइना के एजेन्ट और रशिया के एजेन्ट इस देश की पीठ में छुरा मार रहे हैं। हम उन्हें टोलरेट नहीं करेंगे।

SHRI JYOTIRMOY BASU: Their hands are stained with the blood of the minorities.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : साम्प्रदायिकता की आड़ में इस देश की देश भक्ति तो नहीं खोया जा सकता। अभी एक सदस्य ने कहा कि बनारस हिन्दु युनिवर्सिटी में सेक्युलर स्ट्रक्चर बनाये रखना चाहिये। सभापति जी, आज स्थिति यह है कि सेक्युलर स्टेट की बात जो लोग बोल रहे हैं उन की दृष्टि में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है। आज स्थिति यह है कि राजनारायण का स्टेटमेंट मैं ने अखबारों में पढ़ा, कहां तक सत्य है, मैं नहीं जानता अभी इस देश के माननीय राष्ट्रपति कहीं पर मंदिर में पूजा करने चले गये, उन्होंने आक्षेप किया है कि सेक्यूलर स्टेट का हैड मंदिर में चला गया। लेकिन सेक्यूलर स्टेट का हैड जामा मस्जिद में जा सकता है, पर मंदिर में नहीं जा सकता। जो गिर्जा में जा सकता है क्या वह मंदिर में नहीं जा सकता।

मैं कहना चाहता हूं कि सैक्यूलर स्टेट के यह माने नहीं है। (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: I will request the hon. Member to conclude his speech now. I am sorry to say that. At this stage I wanted to accommodate some Members who expressed a desire to speak on the third reading. If you are going to enter into a fundamental debate on communalism, casteism and all that, that is really not within the scope of this Bill. If he wants to say something about the affairs of the Banaras Hindu University, let him confine to that.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति जी, मेरा दोष नहीं है, जब बोलने वाले आक्षेप करते हैं....

श्री बलराज मधोक : कुछ लोगों का यह भेवा बन गया है कि उन्होंने इस हाउस को एक बाजार की चीज समझ रखा है,। जिस ढंग से सदस्य बोलते हैं मुझे शर्म आती है। ये इनसल्ट करते हैं इस हाउस की । कुछ तो इस हाउस के मेम्बर होने योग्य नहीं हैं । निकल जाओ बाजारु आदमी आ कर के बैठ जाते हो । (*Interruption*).

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): We should not go down so low here.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Who cares for you?

MR. CHAIRMAN: Shri Bal Raj Madhok has drawn the attention of the Chair and said that this should not be converted into.... (*Interruption*)

SHRI BAL RAJ MADHOK: This should not be converted into a *Bazari* thing.

MR. CHAIRMAN: This should not be converted into a marketplace.

SHRI JYOTIRMOY BASU: I would say, "Doctor; heal thyself."

MR. CHAIRMAN: Of course, every hon. Member is expected to accept that kind of advice.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Pious advice!

MR. CHAIRMAN: It is not necessary for the Chair to give special advice on this question. Every Member is expected to do that. But no Member need accuse another side of the House on that question.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के देशभक्तपूर्ण वातावरण असाम्प्रदायिक वातावरण की रक्षा करना सरकार और जनता, दोनों का कर्तव्य है। और वह हर कीमत पर होना चाहिये और जो सुझाव गजेन्द्रगडकर कमीशन का है कि इस को पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सीटी बना दिया जाय मैं समझता हूं कि उस कमीशन ने इनडायरेक्ट वे में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की हत्या करने का सुझाव दिया है। वहां तमाम क्षेत्रों के विद्यार्थी आ कर स्वच्छ वातावरण में देशभक्ति का पान करते हैं। देश के कोने कोने से विद्यार्थी आते हैं। इस लिये उस का जो वर्तमान स्टेटस है उस को बनाये रखना आवश्यक है । मेरा यह सुझाव है और ज्वायेंट कमेटी में भी मैं ने कहा था कि अगर सरकार में साहस है तो जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन का आप सेकूलर स्टेटस् रक्खें, चाहें हिन्दू यूनिवर्सिटी हो चाहे मुसलिम यूनिवर्सिटी हो । अगर आप ऐसा कर सकें तो तमाम देश आप को बधाई देगा।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, सब से पहले में मंत्री महोदय का ध्यान गजेन्द्रडकर आयोग के इस निष्कर्ष की ओर दिलाना चाहता हूं जिस म मजूमदार, सिन्हा और रविशंकर सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उस के बारे में उन्होंने कहा है कि अपने व्यवहार और अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने का मौका भी इन छात्रों को नहीं दिया गया और उन के खिलाफ वाइस चांसलर ने जो आरोप लगाये थे उन का कोई आधार नहीं था । इस निष्कर्ष के बावजूद और शिक्षा मंत्री से कई दफे बात करने के बाद भी उन्होंने उन छात्रों को वापस लेने के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की ।

गजेन्द्रगडकर कमीशन की कई सिफारिशें इतनी प्रतिक्रियावादी और दकियानूसी हैं कि मैं उलझन में पड़ जाता हूं कि गवर्नमेंट का दिमाग ज्यादा पुराना और प्रतिक्रियावादी है अर्थात् शिक्षा मंत्री का या गजेन्द्रगडकर साहब का ।

एक माननीय सदस्य : आप का ।

श्री मधु लिमये : मेरा आधुनिक है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी सिफारिश में कहा है कि एग्जिक्यूटिव कांसिल नियुक्त की जाये, पार्लीयामेंट सदस्यों को चुना न जाय नियुक्त किया जाय विजिटर के द्वारा । इस तरह की जो सिफारिशें हैं उन को बिल्कुल फेंक देना चाहिये ।

छात्रों के बारे में मानता था कि काशी विश्वविद्यालय की यह गरिमा है कि वहां का छात्रसंघ बहुत ही सचेत है, लेकिन इस छात्र संघ कों समाप्त करने के लिये गजेन्द्र–गडकर कमिशन ने सिफारिश की है कि उन का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से न किया जाय। प्रजातन्त्र से, लोकतन्त्र से, मतदान से यह लोग बहुत घबराते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि अगर इस तरह की प्रक्रिया विश्वविद्यालयों में चालू हुई, जाहे कोर्ट का निर्माण हो, चाहे एग्जिक्यूटिव कौंसिल का निर्माण हो या छात्र-संघों का निर्माण हो, अगर नामजदगी का सिद्धान्त आयेगा तो लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा । गजेन्द्रगडकर आयोग ने छात्रों को हिस्सेदारी के बारे में, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, वह भी प्रगतिशील नहीं हैं । मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि यहां पर छात्र संघों के बारे में और छात्रों की हिस्सेदारी के बारे में मैंने दो विधेयक पेश किये हैं, इसी तरह से शिक्षक संघों की हिस्सेदारी के बारे में भी है । मंत्री महोदय जब काशी विश्वविद्यालय के बारे में अपना विधेयक लायेंगे तब क्या अन्तिम तौर पर छात्र संघों के बारे, शिक्षक संघों के बारे में और उन की हिस्सेदारी के बारे में कोई योजना वह पहले से बनायेंगे । अगर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इस सिद्धान्त को लागू किया जाता है तो राज्यों के लिये रास्ता खुल जायेगा ।

अन्त में मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं । डा० राव० के पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने हिम्मत दिखलाई थी और काशी विश्वविद्यालय का जो असली नाम था काशी विश्वविद्यालय उस को कायम करने के लिये अपने विधेयक में सुझाव देने वाले थे । लेकिन बाद में वह बदल गये । कुछ लोगों के दंगा फसाद करने के कारण अपने को धर्म निरपेक्ष कहलाने वाली सरकार झुक गई । मैं जानना चाहता हूं कि जो नया विधेयक आयोग उसमें क्या मंत्री महोदय यह वायदा पूरा करेंगे ।

श्री भट्टाचार्य ने जो कुछ कहा है, मैं उस की ताईद करता हूं । मैं चाहूंगा कि उस पर विचार किया जाये और मालवीय जी के विश्वविद्यालय का नाम काशी विश्वविद्यालय होना चाहिये ।

DR. V. K. R. V. RAO: A number of suggestions were made by my hon. friend, Shri Shiva Chandra Jha. One of them was that the term of the Executive Council should be five years instead of three years. The difficulty would be this. When the new Bill comes, the whole constitution of the Executive Council will be changed; they will not be nominated members; they will be more than eight, and so on. Therefore, the term has been kept at three years because we do not want the present composition and the present Bill to last for one day more than three years; we want that to end earlier.

Regarding the question of the number of Members of Parliament, we have followed the same procedure which has been followed in regard to the Aligarh University. People are very keen that there should not be any differentiation between the Aligarh University and the Banaras Hindu University in regard to governance and so on. This is exactly what has been provided in Aligarh University. When we come to the bigger

[DR V. K. R. V. RAO]

Bill which I propose to bring for both the Universities simultaneously—whether such a thing is possible, I would like the Joint Committee to consider—then we shall see what will be the representation of Members of Parliament.

Regarding the question that only 15 should be nominated because of 30 are, nominated, they will all be politicians, it is true that in the Visitor being advised by a Cabinet Minister who is a member of a political party, there may be a danger that a political considerations will weigh with him in suggesting nominations....

SHRI MADHU LIMAYE: No nomination.

DR. V. R. K. V. RAO: I would like to assure this House that to the best of my ability I shall see that educational and functional considerations prevail rather than political or party consideration.

Then a suggestion was made by Shri Jha about free studentship. Unfortunately I cannot put in that amendment here. But I shall see that, when I write to them, this point is also mentioned.

Regarding student participation in politics, I do not think that it is necessary to have a specific committee for that purpose. If I may express my own personal view which may or may not be acceptable to all sections of the House, I do not think that it is desirable or possible to insulate students from political thinking or from political ideas. What we want to see from the point of view of working of the University is that students should not take part in politics in such a manner that inflammatory feelings are aroused in the Campus, then processions are formed and violence takes place. Subject to that, there should be every opportunity for students to listen to to political thinkers, not only listen to them but also cross-examine them, to develop political thinking, political rationality, political sanity, political credibility, so that the various political parties can go and talk to them and be cross-examined by them and the students' political thinking will become completely mature. The only thing that I would like to say to all my hon. friends is that, while students should, in my opinion, have political clubs, discuss political problems, invite political people for the purpose of discussion and so on, one thing on which we should all agree upon, whatever be the ideology whether it is Jan Sangh or Communist Marxist or any other ideology, is that non-violence should be the rule of accepted political behaviour within the Campus. Once we do that, almost all the problems that we have been faced with either from one side or from the other, will be properly dealt with. This is one thing where, I hope, we will get the co-operation of all the political parties as far as the Campus is concerned. I am not talking about streets; that is not my job; I am only concerned with University Campus.

Regarding the question of nomination, I have already answered my hon. friend, Shri Raj Deo Singh, that nomination will take into account educational and functional considerations.

As regards the amendment moved by Mr. Amin, who is not here now, that at least two of the members of the Executive Council should be nominated from University employess, I propose to do so on any case; that was the the recommenddation of the Gajendragadkar Committee and I have already accepted that. The only thing is that it is not put in the form of a regulation here.

Mr. Bibhuti Mishra talked about election. I have already said that nominations are only temporary.

There should be no question of nomination being the principle of University governance . . .

AN. HON. MEMBER: The number should be doubled.

DR. V. K. R. V. RAO: I have already given the answer. When we come to the permanent Bill, we shall see what should be the number.

It was said that there should be, on the Court, Philosophers and Indians of world culture. I am rather sorry that Mishraji referred to....

SHRI BIBHUTI MISHRA: I am here.

DR. V. K. R. V. RAO: I am rather sorry that Shri Misraji referred to Prof. Seshadri. Prof. Seshadri is not alive he is dead. Not only he is dead, but his son who was a friend of mine is also dead. Prof. Seshadri was a very distinguished educationist. He commanded very high respect. Sir, each person functions in his own time according to his own like. Prof. Seshadri had a very large number of students, may be he did not get on well with Mr Misra. I understood his saying that we must have more philosophers in the Court. That I can understand. Philosophers are a useful set of people. But I do not think, Sir, we should say anything about Prof. Seshadri. But certainly I will keep the suggestion in mind that when constituting the Board some philosophical element is introduced in the court at the proper time.

A suggestion was made about the students' participation by my friend Mr. Madhukar. He said that the Vice-Chancellor should be appointed in consultation with the students. Well, I think it is an ideal. I don't think it is an ideal that can be brought into practice to-day. In any way, I am sure, sooner or later that suggestion also will become a part of the ideology about students' participation. For the time being, I am sorry, he will agree that I may not be so rash as to accept his suggestion. The Vice-Chancellor should be a very eminent scholar and should not be a politician. Well, I don't think we would like to have politicans as Vice-Chancellors. But we want the Vice-Chancellors should be in a position to command the respect of the students, they should have some administrative experience and they should also be generally acceptable to the people.

SHRI S. KANDAPPAN: Who will be just like you.

DR. V. K. R. V. RAO: No, No. I will be ruled out. If we adopt the criterion put forward by Mr. Misra, I will be ruled out from becoming Vice-Chancellor of the Banaras University.

Regarding the suggestions made by my friend, Shri Mahant Digvijai Nath, to whom I have great respect and whom I met many years ago in Gorakhpur, I appreciate his suggestion that the Education Minister should be an *ex-Officio* Vice-Chancellor. First of all I do not know whether it is legally permissible. There are so many Central Universities. If he were to be the Vice-Chancellor of every central University, he will be like Draupadi, wife of the five Pandavas. You will have the Education Minister who will be the servant of—I do not know—how many Universities. So, I am sure, the Mahantji does not want me to be put in that awkard position.

Regarding the election of the Rector, the Rector functions as pro-Vice-Chancellor it would not be possible to introduce that system. I would like to consider it if the Rector does not have any official duties. What is done in the Edinburgh University? There as well as in a number of other foreign Universities, I think the students elect the Rector. He functions as *honoris causa*. He has no particular function. The student community expresses their admiration for him in whom they have confidence. I would like to think about

[Dr. V. K. R. V. Rao]

the possibility of having something like an honorific office of Rector who will be elected by the student community as in the case of foreign Universities.

SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH: 'Indian University Administration' a booklet issued by the Ministry of Education in 1958 says that the Rector is elected.

DR. V. K. R. V. RAO: I do not know. Whatever they might have said in 1958, I am afraid, to the best of my knowledge and the University readings, there is no suggestion so far that he should be elected. The Rector usually means Pro-Vice-Chancellor. The Rector is not an honorific office. There should be no suggestion that he should be elected by the students.

About the question of rotation to which my friend, Shri Bhattacharyya referred it is true that it has not been tried in many Universities. It has been tried in Delhi University. When we come to the structure of the Banaras University, we will see to what extent this principle can be introduced.

Well, about political parties, I have already mentioned it.

Regarding the point raised by Mr. Madhu Limaye about introduction of expelled students, I have spoken on that a number of times. I am sure it is not due to any lack of courage on my part. I have read out extracts in this House on this subject from the Gajendragadkar Committee's Report and I have read out extracts in the other House also. But all the same, I will not have 100 per cent closed my mind on the subject. If you quote the Gajendragadkar Committee, then I would say the Gajendragadkar Committee has made it quite clear that while procedural irregularities were there, nevertheless in their opinion, the kind of behaviour of students in which these students indulged was most undesirable.

Regarding the other points that are made in the Gajendragadkar Committee report about students elections being indirect and so on, we are not accepting that. All that is going to be discussed. I think it is a good suggestion that Shri Madhu Limaye made whether it would be possible for the Banaras Hindu University to include some provision that we can have some kind of statutory provision both for student unions as well as for teachers organisations. What happens is this? In many universities students' unions function very badly. There are professional students of 15 years standing who are there and they become students' union president. It is very important to reconstruct the students unions. I am sure I will have the support of Shri Madhu Limaye when I bring before this House that part of the Bill.

MR. CHAIRMAN: Is Shri Bibhuti Mishra withdrawing his amendments?

SHRI BIBHUTI MISHRA: Yes.

Amendments Nos. 82, 83, 85, and 100 to 105 were, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN:: I shall put the other amendments to vote.

Amendments Nos. 8 to 21, 46, 48, 50, 58 to 63, 71 to 76, and 93 to 98 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Now the question is:

"That clause 12 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13— (*Transitional provisions.*)

MR. CHAIRMAN: We now go to Clause 13.

श्री क० मि० मधुकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

धारा 13 उपधारा (2) के अन्त में यह जोड़ा जाए "लेकिन ऐसी कोई संक्रमण

कालीन व्यवस्था 6 माह से अधिक अवधि तक न चले और इस बीच विधि विहित ढंग से सभा, कार्य परिषद एवं समितियों का गठन अवश्य कर लिया जाए।" (77)

MR. CHAIRMAN: I will put the amendment moved by Shri Madhukar to the vote of the House.

Amendment No. 77 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I will now put Clause 13 to the vote of the House.

The question is:

"That Clause 13 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill

Clause 1. (*Short title and Commencement.*)

MR. CHAIRMAN: Now we go to *Clause* 1.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: I have amendment No. 6.

Page 1, line 3,—

for "Banaras Hindu University" *substitute*—

"Banaras Madan Mohan Malaviya University" (6)

मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हिन्दू शब्द न रहे और इसका नाम बनारस मदन मोहन मालवीय यूनिवर्स्टी रख दिया जाए।

MR. CHAIRMAN: You are an hon. Member coming from Bihar State; already we have exceeded the time allotted for Bihar discussion by more than half an hour. Please cooperate with the Chair as we have to finish this quickly.

श्री क० मि० मधुकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

धारा 1 "हिन्दू" शब्द का लोप किया जाए (68)

DR. V. K. R. V. RAO: They want me to say something about the names; I will say it in the final stage.

MR. CHAIRMAN: They want about names only. On that particular point, if you wish to say something, you can say it at this stage.

DR. V. K. R. RAO: As far as name is concerned, I am aware, the inscription in the foundation stone in Kashi Viswa Vidyalaya. I am aware that in Rajya Sabha when the Original Banaras Hindu University Act was passed some years ago they had deleted both the word Muslim from Aligarh and Hindu from Banaras universities. This House—I was not a Member of this House then—refused to accept that and retained the name Muslim and Hindu. We can discuss about this. We can have on informal understanding about this and that is what I would try to do before introducing the kind of amendment that is suggested because I dont want the thing again and again to come up and be debated, thereby showing that we are all communal. (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN: I will now put amendments to Clause 1 to the vote of the House.

Amendments Nos. 6 *to* 68 *were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: Now the question is:

"That clause 1 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1 *was added to the Bill*

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

DR. V. K. R. V. RAO: Sir, I move:

"That the Bill be passed"

I want to just take 2 or 3 minutes. I want to say something. The university is reopening day after tomorrow. I beg the pardon of the House to say something and I wish to take a few minutes.

We are now passing this Bill. I am sure the House will forgive me if I make an appeal through you.

SHRI BALRAJ MADHOK: Could he give us an indication as to by what time the comprehensive Bill about which he talked would be introduced?

DR. V. K. R. V. RAO: This is like the Rama and Sita story. I have mentioned it not once but a dozen times. I said that I shall try my best to bring forward a comprehensive Bill in the winter of 1970-71.

First of all, I think one of the reasons for student difficulties in Banaras University today is the problem of the lack of physical facilities. Therefore, I had a talk with the Chairman of the University Grants Commission about it. At my request, he is sending a team to the University to look into the requirements of student amenities, hosteis, canteens, sports facilities and so on. He has given me the assurance that after the team comes back and makes a report, he will make some special funds available for the purpose of student amenities in Banaras Hindu University.

I also want to say that I had a long conversation with ten Deans of the University this morning. I hope also to meet some other professors who have sent telegrams I shall met them sometme later. I appealed to them to see that they exercise all their influence and see that irrespective of ideologies or political party affiliations, the name of Pandit Madan Mohan Malaviya is given the esteem it deserves and that a proper atmosphere is created in the University. All of them were very happy to associate themselves with my sentiments.

In particular, I told them about the importance of having student-teacher dialogues, student-teacher councils, some kind of a machinery which will see that disciplinary action, when necessary, is taken in a manner that will give the students a feeling that justice is being done. I also asked them in general to take note of the winds of change that are blowing in this country not only in terms of banks nationalisation but also in terms of the entire radicalising of the thinking of people in this country.

I wonld conclude by making this appeal to the hon. House. Let members of all political parties please forget the hard words that might have been used during the course of this debate either on the Jan Sangh or on the DSP or on the CPI or on the question of Hindi *vs* non-Hindi and so on. I should like members of all political parties in their own way—I do not say they should issue a joint appeal; I do not believe in that kind of thing—to realise one thing and do what is needed. I am sure they will agree that the future of Banaras Hindu University is at stake. It is a disgrace that there have been so many inquiry committees; it is a disgrace that there should have been two such Ordinances bringing into being a controlled and nominated university structuring in this University. I would appeal to all political parties to see that they do not bring in any kind of propaganda or agitation within the university, I am not asking for anything outside the University, but within the University, let there be non-violence, let there be no use of students for any political purpose. If they agree to this, I am sure it will enormously help us to ensure peace in the University.

Lastly, I want to appeal, through you, to the students of Banaras Hindu University. I want to tell them that they have got a great heritage. The students of Banaras Hindu University had and have a great heritage. Kashi—I do not like the word 'Banaras'— is a place of very hallowed tradition to us. It is the one place in India which has a continuous academic tradition for 2,600 years or more. At least from the days of the Buddha, every learned man in this country who wanted to make a contribution to learning or knowledge or vision or wisdom went to Varanasi, went to Kashi, and there he propounded his theories, was cross-examined and if he could establish

himself there then he established himself in the rest of the country as well. Combridge and Oxford are 600 and 700 years old. There is no place in the whole world where there is such a continuous academic tradition as Banaras has got. The students and teachers of that place have a great tradition to uphold and fulfil.

I would beg of them: let them forget small things. Let them remember tney are heirs to a great heritage. Let them see to it that peace prevails, discussion prevails, dialogue takes place and violence is completely eschewed. If they do this, I have no doubt in mind there will be peace in Banaras Hindu University and Kashi Viswas Vidayala will once again become one of the premier Universities of not only this country but of the entire wide world. With these words I commend the Bill for the acceptance of the House.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.49 hrs.

FOREIGN MARRIAGE BILL

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एजेंडा पर बिहार संबंधी प्रस्ताव और विधेयक के अलावा बाढ़ के संबंध में एक प्रस्ताव भी है, जिस में सब माननीय सदस्यों की दिलचस्पी है। लेकिन एजेंडा पर एक फ़ारेन मैरिज बिल भी है। इस में कई हयुमैन ट्रेजेडीज़ का सवाल है और इस बारे में कोई विवाद नहीं है। वह बिल जायंट कमेटी से आया है और राज्य सभा ने उस को पास कर दिया है। अगर इस बिल को बिना बहस के पास कर दिया जाये, तो अच्छा होगा।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं उस जायंट कमेटी का सदस्य था और मैं ने उस की रिपोर्ट में अपना मिनट आफ़ डिसेंट भी दिया है। मैं माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, के सुझाव से सहमत हूं।

MR. CHAIRMAN: It is left to the House. If the House agrees, we can do so.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH: I had consulted the Law Minister because Mr. Limaye mentioned this to me earlier and he said that he had absolutely no objection to pass it without discussion if the House so desired. If the House permits it, I shall move the motion on his behalf. I move on behalf of Shri Govinda Menon:

> "That the Bill to make provision relating to marriages of Citizens of India outside India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to make provision relating to marriages of citizens of India outside India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR CHAIRMAN: We shall take up clause 2. I think that amendments are not being moved.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, फ़ारेन मैरिज बिल में कई बातें ऐसी हैं, जिन पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी। (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: We have passed the consideration motion and we are taking up clauses.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, आर्डर पेपर पर एक एडवोकेट्स (सैकंड एमेंडमेंट) बिल भी है, जिस को राज्य सभा ने पास कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह कोई विवादास्पद बिल नहीं है। इस लिए इस को भी बिना बहस के पास कर दिया जाये।